वार्षिक रिपोर्ट

2018 - 2019

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

वार्षिक रिपोर्ट

2018-19

एसटीपीआई
STPI

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

• शासी परिषद	03
• सामान्य निकाय	04
• सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की प्रबंधन संरचना	05
• भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य	06
• एसटीपीआई– एक अवलोकन	08
• एसटीपीआई की पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन	09
• एसटीपीआई में पंजीकृत आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा निर्यात	10
• सांविधिक और अन्य सहायता सेवाएं	12
• डेटा संचार सेवाएं	13
• परियोजना प्रबंधन और परामर्श (पीएमसी) सेवाएं	14
• बीपीओ संवर्धन योजनाएं–आईटी नौकरियों का सृजन	20
• सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (सीओई)	21
• संवर्धनात्मक कार्यकलाप	24
• एमटीएनएल–एसटीपीआई संयुक्त उद्यम	28
• एसपीटीआई का वित्तीय विश्लेषण	29
• लेखा विवरण	30
• स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	32
• लेखा परीक्षक	36
• अनुसूची–22	51
• अनुसूची–22क	55
• सूचना का अधिकार	63
• एसटीपीआई के केन्द्र	64

शासी परिषद*

अध्यक्ष

श्री रविशंकर प्रसाद
माननीय विधि एवं न्याय,
संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री संजय धोत्रे
माननीय शिक्षा, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री,
भारत सरकार

कार्यकारी उपाध्यक्ष

श्री अजय प्रकाश साहनी
सचिव
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार

सदस्य

सुश्री ज्योति अरोड़ा
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

श्री राजीव कुमार
संयुक्त सचिव (सोसाइटी) तथा एसटीपीआई
के समूह समन्वयक
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अतुल कुमार चौधरी
उप महानिदेशक (डी एस)
दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अनुज शर्मा
संयुक्त सचिव (सीआईएस)
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जनार्दन सिंह
संयुक्त निदेशक, आसूचना ब्यूरो
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

श्री संदीप कुमार
प्रधान महानिदेशक
प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन,
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अमित यादव
महानिदेशक विदेश व्यापार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

श्री नलिन कोहली
अध्यक्ष (विजन समिति)
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात
संवर्धन परिषद (ईएससी)

श्री एन. चन्द्रशेखरन
अध्यक्ष
मै. टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज

श्री जसविंदर एस. अहूजा
कॉर्पोरेट उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
मै. केडंस डिजाइन सिस्टम (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड

श्री अरूण जैन
अध्यक्ष
मै. इन्टेलेक्ट डिजाइन एरेना लि.

सुश्री देबजानी घोष
अध्यक्ष, नैसकॉम

श्री राजेश राम मिश्रा
अध्यक्ष
इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर एसोसिएशन

श्री देवेश त्यागी
वरिष्ठ निदेशक, एसटीपीआई

सदस्य सचिव

डॉ. ओंकार राय
महानिदेशक
एसटीपीआई

* अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार

सामान्य निकाय*

अध्यक्ष

श्री रविशंकर प्रसाद
माननीय विधि एवं न्याय,
संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री संजय धोत्रे
माननीय शिक्षा, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री,
भारत सरकार

कार्यकारी उपाध्यक्ष

श्री अजय प्रकाश साहनी
सचिव
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
भारत सरकार

सदस्य

सुश्री ज्योति अरोड़ा
विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

श्री राजीव कुमार
संयुक्त सचिव (सोसाइटी) तथा एसटीपीआई के समूह समन्वयक
इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अतुल कुमार चौधरी
उप महानिदेशक (डीएस)
दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अनुज शर्मा
संयुक्त सचिव (सीआईएस)
गृह मंत्रालय, भारत सरकार

श्री जनार्दन सिंह
संयुक्त निदेशक
आसूचना ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार

श्री संदीप कुमार
महानिदेशक
प्रणाली एवं डेटा प्रबंधन,
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड,
राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

श्री अमित यादव
महानिदेशक, विदेश व्यापार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

श्री देवेश त्यागी
वरिष्ठ निदेशक
एसटीपीआई

सदस्य सचिव

डॉ. ओंकार राय
महानिदेशक
एसटीपीआई

* अक्टूबर, 2020 की स्थिति के अनुसार

एसटीपीआई की प्रबंधन संरचना

शासी परिषद

शासी परिषद, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) का शीर्ष प्रबंधन निकाय है,जो एसटीपीआई की समग्र कार्यप्रणाली का निर्देशन एवं देखरेख करती है तथा नीतिगत निर्देश प्रदान करती है। माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार, शासी परिषद के **'अध्यक्ष'** हैं। माननीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री, भारत सरकार, शासी परिषद के **'उपाध्यक्ष'** हैं। सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, शासी परिषद के **'कार्यकारी उपाध्यक्ष'** हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एवं उद्योग संघों के प्रतिनिधि शासी परिषद के सदस्य हैं ।

महानिदेशक

महानिदेशक, एसटीपीआई शासी परिषद के सदस्य–सचिव हैं तथा शासी परिषद के मार्गदर्शन के अंतर्गत एसटीपीआई के प्रबंधन तथा संचालन के लिए उत्तरदायी हैं। संस्था के कुशल संचालन के लिए महानिदेशक को आवश्यक कार्यकारी शक्तियां तथा प्राधिकार प्रत्यायोजित किए गए हैं।

निदेशकों की कार्यकारी समिति (ई–कॉड)

संस्था के संस्थापना प्रलेख के अनुसार, निदेशकों की कार्यकारी समिति (ई–कॉड), जो संस्था का एक अंग है, शासी परिषद एवं प्रशासनिक मंत्रालय की ओर से प्रशासनिक, वित्तीय, संचालन और इस तरह के नीतिगत मामलों की समीक्षा एवं मंजूरी प्रदान करने जैसे कार्य करती है। ई–कॉड की अध्यक्षता सचिव, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा कार्यकारी उपाध्यक्ष, शासी परिषद, एसटीपीआई द्वारा की जाती है।

स्थायी कार्यकारी बोर्ड (एसईबी)

ऐसे प्रत्येक राज्य में जहाँ एसटीपीआई का केन्द्र है, नीतिगत और संचालन संबंधी मामलों में उद्योग और सरकार के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने के लिए एक स्थायी कार्यकारी बोर्ड (एसईबी) का गठन किया जाता है। स्थायी कार्यकारी बोर्ड, एसटीपीआई केन्द्रों/उप केन्द्रों की भावी विस्तार योजनाएं तैयार करने, सुविधाओं का दर्जा बढ़ाने, प्रत्येक एसटीपीआई केंद्र की वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करने और महानिदेशक, एसटीपीआई को परामर्श देने का कार्य करता है।

वरिष्ठ निदेशक

वरिष्ठ निदेशक, एसटीपीआई मुख्यालय के प्रमुख हैं। वरिष्ठ निदेशक, एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं के प्रशासन के लिए क्षेत्राधिकार निदेशक के रूप में कार्य करते हैं।

निदेशक

निदेशक, एसटीपीआई केन्द्र के तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। निदेशक, एसटीपी और ईएचटीपी योजनाओं के प्रशासन के लिए सबंधित अधिकार क्षेत्र में क्षेत्राधिकार निदेशक के रूप में कार्य करते हैं।

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी परिदृश्य

भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग जोकि वर्तमान में एक अद्वितीय स्थिति में है और अगली छलांग के लिए तत्पर है, इंजीनियरिंग दक्षता, सूचना प्रौद्योगिकी की आधारभूत संरचना, गहन तकनीकी कौशल, उद्योग विशिष्ट विशेषज्ञता के साथ–साथ उत्पाद प्रबंधन एवं डिजाईन क्षमता से ओतप्रोत है। देश के लिए यह उचित समय है कि अब उभरती हुई प्रौद्योगिकी की क्षमता का लाभ उठाया जाए। राष्ट्र के लिए यह गौरव की बात है कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग वैश्विक प्रथाओं के अनुसार विश्व स्तरीय उत्पादों के सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जीवंत स्टार्ट अप पारिस्थितिकी प्रणाली के निर्माण हेतु इन उभरती हुई प्रौद्योगिकियों को अमल में ला रहा है।

भारतीय आईटी–बीपीएम उद्योग ने वित्त वर्ष 2017–18 के 167 बिलियन डॉलर की तुलना में वित्त वर्ष 2018–19 में 177 बिलियन डॉलर राजस्व के साथ 9% की वृद्धि दर्ज की है। इस उद्योग का निर्यात वित्त वर्ष 2017–18 के 126 बिलियन डॉलर से बढ़ कर वित्त वर्ष 2018–19 में 136 बिलियन डॉलर हो गया है जबकि इसी अवधि में घरेलू राजस्व (हार्डवेयर सहित) 41 बिलियन डॉलर रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा निर्यात ने वर्ष 2017–18 के 69 बिलियन डॉलर से बढ़ कर वर्ष 2018–19 में 74 बिलियन डॉलर के साथ 7.25% की वृद्धि दर्ज की है। आईटीईएस/बीपीएम निर्यात में वर्ष 2017–18 के 28 बिलियन डॉलर की तुलना में वर्ष 2018–19 में बढ़ कर 31 बिलियन डॉलर के साथ प्रति वर्ष लगभग 10.71% की वृद्धि दर्ज की है। ईआर एण्ड डी में 10.71% की वृद्धि हुई है जो वर्ष 2017–18 के 28 बिलियन डॉलर से बढ़ कर वर्ष 2018–19 में 31 बिलियन डॉलर हो गया है।

वर्ष 2018–19 में आईटी सॉफ्टवेयर और सेवाओं ने 1,70,000 रोजगार का सृजन किया, जिससे प्रत्यक्ष रोजगार की संख्या 4.14 मिलियन हो गयी है जबकि इस क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रोजगार की संख्या लगभग 10 मिलियन है। यह अनुमान है कि आईटी–बीपीएम क्षेत्र का बाजार वर्ष 2025 तक बढ़ कर 350 बिलियन डॉलर और कुल राजस्व में बीपीएम का हिस्सा 50–55 बिलियन डॉलर हो जाएगा। कुल भारतीय सेवा निर्यात में आईटी–बीपीएम क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो 45% है। आईटी–बीपीएम क्षेत्र (हार्डवेयर सहित) का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान वर्ष 1998–99 के 1.2% की तुलना में वर्ष 2018–19 में बढ़ कर लगभग 7.9% हो गया है।

आईटी–बीपीएम निर्यात में वृद्धि के लिए अमेरिका प्रेरणा का एक केंद्र बना रहा है, जिसका बाजार में सबसे अधिक हिस्सा 62% है, इसके बाद यूके का 17%, यूरोप महाद्वीप का 11%, एपीएसी का 8% और शेष विश्व का हिस्सा 2% है। कुल निर्यात में शीर्ष पांच वर्टिकल्स, जिनका हिस्सा 90% है, जिसमे बीएफएसआई का योगदान 41%, हाई–टेक/टेलीकॉम का 18%, विनिर्माण का 16%, खुदरा का 10% और स्वास्थ्य देखभाल का योगदान 5% है।

एसटीपीआई पंजीकृत आईटी/आईटीईएस इकाइयों के निर्यात में 12% की वृद्धि दर्ज की गयी है और यह वित्त वर्ष 2017–18 में ₹3,75,988 करोड़ से बढ़ कर वित्त वर्ष 2018–19 में ₹4,21,103 करोड़ हो गया है। इसके अलावा वित्त वर्ष 2018–19 में 80 एसटीपी इकाइयां पंजीकृत की गयी।

पिछले तीन दशकों में भारत ने आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में शानदार सफलता हासिल की है और अब हम आईटी महाशक्ति हैं और साथ ही विश्व स्तर पर प्रशंसित आईटी डेस्टिनेशन भी हैं। यह उचित समय है कि राष्ट्र वैल्यू चेन में आगे बढ़े और स्वयं को आईटी सेवा गंतव्य से उत्पाद गंतव्य में परिवर्तित करे। इसके लिए इलेक्ट्रॉनिकी क्षेत्र को सहारा देने, देश में सॉफ्टवेयर उत्पाद पारिस्थितिकी प्रणाली का निर्माण करने और उसे सुदृढ़ करने हेतु सरकार ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (एनपीई) और राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर उत्पाद नीति (एनपीएसपी) 2019 जैसी प्रमुख नीतियाँ शुरू की हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति अधिसूचित की गयी, जिसमें अन्य बातों के साथ साथ विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी ईएसडीएम क्षेत्र के लिए पारस्थितिकी प्रणाली का निर्माण, इलेक्ट्रॉनिकी संघटक विनिर्माण पारस्थितिकी प्रणाली को प्रोत्साहन, मेगा प्रोजेक्ट के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज, उद्योग द्वारा अनुसन्धान और विकास तथा नवाचार और इलेक्ट्रॉनिकी

के उप क्षेत्रों में स्टार्ट अप पारस्थितिकी प्रणाली के साथ ही साथ उभरती प्रौद्योगिकी जैसे कि 5जी, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, ड्रोन, रोबोटिक्स, गेमिंग और एंटरटेनमेंट, फोटोनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिवाइस, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेन्स और स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स, साइबर सुरक्षा आदि को प्रोत्साहन देना शामिल है।

यह एनपीएसपी की परिकल्पना है कि वर्ष 2025 तक भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग बाजार वर्तमान 8.2 बिलियन डॉलर से दस गुना वृद्धि करे। नीति में आईसीटी अवसंरचना, इनक्युबेशन सुविधा, अनुसन्धान और विकास तथा परीक्षण सुविधा, परामर्श और बाजार समर्थन को एकजुट कर क्लस्टर आधारित नवाचार संचालित पारस्थितिकी प्रणाली पर बल दिया गया है। एसटीपीआई, एनपीएसपी के उद्देश्यों को हासिल करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। इसके अलावा, नीति का उद्देश्य सरकार की अन्य पहल जैसे कि स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया के साथ भी जुड़ना है ताकि 70–80 बिलियन डॉलर का भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद उद्योग का सृजन किया जा सके ।

लगभग 20,000 से अधिक स्टार्ट अप के साथ, भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टार्ट अप पारस्थितिकी प्रणाली है, जिसमें 7,200–7,700 टेक स्टार्ट अप हैं और इसमें प्रति वर्ष 10–12% वृद्धि की अपेक्षा है। वैश्विक मंदी के बावजूद भारतीय स्टार्ट अप पारस्थितिकी प्रणाली आगे बढ़ने को तत्पर है। कारोबार करने में कम लागत, उपभोक्ताओं और वेंडरों तक पहुँच, एक बड़े उपभोक्ता बाजार की उपलब्धता, प्रति वर्ष स्नातक होने वाले 7 मिलियन छात्र और 627 मिलियन इन्टरनेट प्रयोक्ता भारत में टेक स्टार्ट अप की तीव्र वृद्धि के मुख्य प्रेरक हैं।

स्टार्ट अप पारस्थितिकी प्रणाली को और सुदृढ़ करने के लिए एसटीपीआई ने ध्यानाकर्षण क्षेत्रों मे अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, नेतृत्व, परामर्श, प्रशिक्षण, अनुसन्धान और विकास, निधियन और नेटवर्किंग के सन्दर्भ में उच्चतम मानक और सर्वोत्तम प्रक्रिया प्रदान कर उभरते प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डोमेन विशिष्ट विशेष इनक्युबेशन सुविधा को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स (सीओई) का निर्माण आरंभ किया है। एसटीपीआई के सेंटर ऑफ एक्सिलेन्स का नेतृत्व मेंटर द्वारा किया जाता है, जो उद्योग के दिग्गज होते हैं और जिनका भारतीय आईटी उद्योग में बदलाव लाने में प्रामाणिक रिकॉर्ड रहा है। इन मेंटरों के अनुभव और विशेषज्ञता से एसटीपीआई विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी एजेंसियों, निगमों, औद्योगिक संघों, प्रमुख शैक्षणिक समुदायों और वेंचर कैपिटलिस्टों के साथ सहयोग कर नवाचार अवधारणा को महत्वपूर्ण उत्पाद में परिवर्तित करता है। सरकार के समर्थन और शैक्षणिक समुदायों और उद्योग के सहयोग के साथ इस अभीष्ट पारस्थितिकी प्रणाली से भारतीय आईटी उद्योग नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देगा और वर्ष 2025 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने में महत्वपूर्ण योगदान करेगा ।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)-एक अवलोकन

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) की स्थापना और पंजीकरण, संस्था पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (अब इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) भारत सरकार के अंतर्गत 5 जून, 1991, को की गई थी, जिसका उद्देश्य सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स (एसटीपी) तथा इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स (ईएचटीपी) योजनाओं के कार्यान्वयन, आधारभूत सुविधाओं की स्थापना और उनका प्रबंधन तथा प्रौद्योगिकी मूल्यांकन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी अन्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।

संस्था के उद्देश्य

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के उद्देश्य हैं:

क) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं/जैव–आईटी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देना।

ख) एसटीपी/ईएचटीपी तथा ऐसी अन्य योजनाओं को, जो कि सरकार द्वारा समय–समय पर तैयार करके सौंपी जाती हैं, कार्यान्वित करके निर्यातकों को सांविधिक तथा अन्य संवर्धनात्मक सेवाएं उपलब्ध कराना।

ग) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं उद्योगों को मूल्य संवर्धित सेवाओं सहित डेटा संचार सुविधाएं उपलब्ध कराना।

घ) सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के क्षेत्र में उद्यमशीलता के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करके छोटे, लघु व मझौले उद्यमियों को बढ़ावा देना।

एसटीपीआई की पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन

संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान हासिल की गई मुख्य उपलब्धियां तथा निष्पादित कार्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

सांविधिक सेवाओं का प्रावधान

एसटीपीआई प्रारंभ से ही निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत पूरे देश में फैले विभिन्न एसटीपीआई केन्द्रों से सिंगल विन्डो क्लीयरेंस मैकेनिज्म द्वारा सांविधिक सेवाएं प्रदान कर रहा है:

(क) सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क(एसटीपी) योजना

(ख) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) योजना

एसटीपीआई की पंजीकृत इकाइयों का प्रदर्शन

वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान एसटीपी योजना में 80 नयी इकाइयां और केवल साफटेक्स अनुप्रमाणन सेवाऐं प्राप्त करने वाली 601 इकाइयां पंजीकृत की गयी। इस प्रकार, वित्त वर्ष 2018–19 में कुल 681 इकाइयां पंजीकृत की गई। पिछले 3 वर्षों के दौरान, एसटीपीआई के साथ पंजीकृत इकाइयों की कुल संख्या का ग्राफ नीचे दर्शाया गया है:

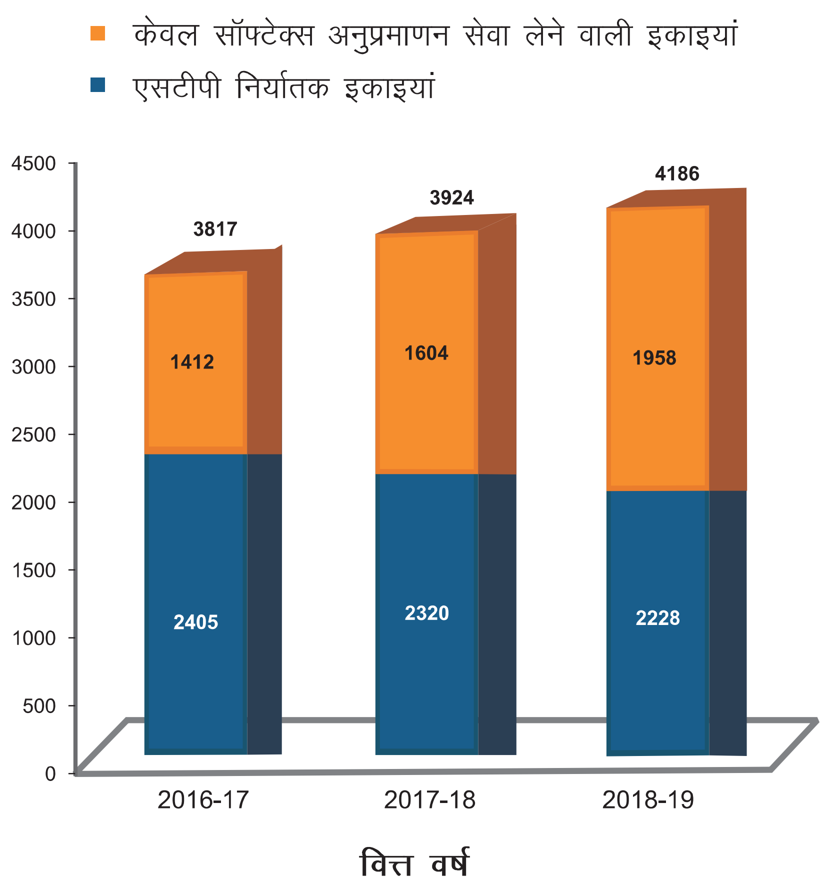

एसटीपीआई में पंजीकृत आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा निर्यात

एसटीपीआई पंजीकृत आईटी/आईटीईएस इकाइयों द्वारा वर्ष 2017–18 के ₹ 3,75,988 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018–19 में निर्यात बढ़ कर ₹ 4,21,103 करोड़ हो गया और यह वृद्धि 12 प्रतिशत है। वर्ष 2018–19 के दौरान किए गए निर्यात का विवरण निम्नानुसार है:

(क) एसटीपी योजना (एफटीडीआर अधिनियम 1992 के अंतर्गत) के अंतर्गत सेवाएं प्राप्त करने वाली इकाइयों ने ₹ 3,71,100.82 करोड़ का निर्यात किया ।

(ख) केवल सॉफ्टेक्स अनुप्रमाणन सेवाएं प्राप्त करने वाली इकाइयों ने ₹ 50,002.44 करोड़ का निर्यात किया।

पंजीकृत इकाइयों द्वारा एसटीपीआई के माध्यम से सॉफ्टवेयर निर्यात का राज्यवार ब्यौरा नीचे दी गई तालिका के अनुसार है:

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्त वर्ष 2018–19
1	आंध्र प्रदेश	730.64
2	असम	20.06
3	बिहार	0.03
4	चंडीगढ़	490.81
5	छत्तीसगढ़	63.03
6	दिल्ली	2363.45
7	गोवा	79.66
8	गुजरात	3101.06

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	वित्त वर्ष 2018–19
9	हरियाणा	24220.32
10	हिमाचल प्रदेश	5.82
11	जम्मू और कश्मीर	5.30
12	झारखंड	11.57
13	कर्नाटक	169699.08
14	केरल	3901.88
15	मध्य प्रदेश	786.95
16	महाराष्ट्र	85595.37
17	मेघालय	14.74
18	ओडिशा	2510.40
19	पुदुचेरी	252.70
20	पंजाब	588.76
21	राजस्थान	1255.85
22	सिक्किम	22.31
23	तमिलनाडु	40457.08
24	तेलंगाना	57527.45
25	उत्तर प्रदेश	20098.88
26	उत्तराखंड	150.10
27	पश्चिम बंगाल	7150.00
	कुल	**421103.30**

ईएचटीपी इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात

ईएचटीपी इकाइयों द्वारा किया गया निर्यात वर्ष 2017–18 के ₹ 7,723 करोड़ की तुलना में, वर्ष 2018–19 में घट कर ₹ 7677 करोड़ हो गया है और यह कमी 0.59% है।

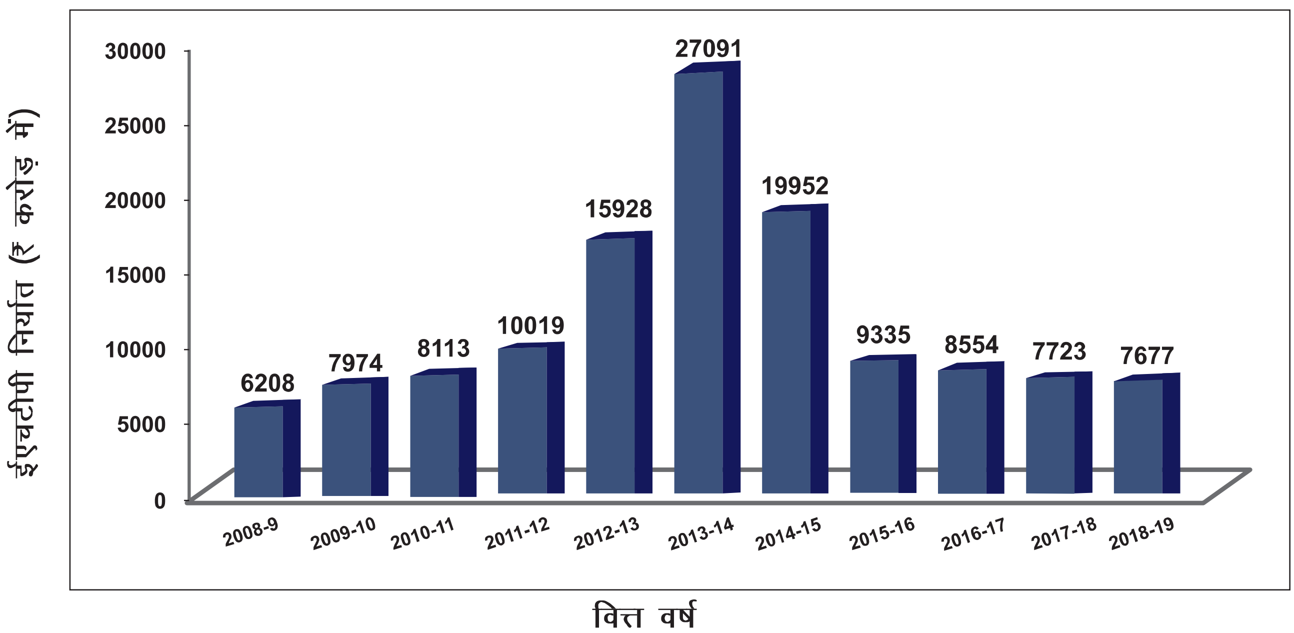

सांविधिक और अन्य सहायता सेवाएं

सांविधिक और अन्य सहायता सेवाओं के प्रावधान के लिए केन्द्रों/सुविधाओं की स्थापना और विस्तार

आईटी/आईटीईएस/ईएसडीएम उद्योग संवर्धन और विकास के अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास में नए एसटीपीआई केन्द्रों की स्थापना की दिशा में और अधिक जोर दिया गया और मौजूदा केन्द्रों में सुविधाओं का सुधार और विस्तार किया गया। नए केंद्र और सुविधाओं का उद्देश्य उद्योग को सांविधिक और इन्क्यूबेशन सेवाएं प्रदान करना है, ताकि सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के यथा संभव उच्चतम निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इस समय पूरे देश में एसटीपीआई के कुल 59 केंद्र परिचालन में हैं, जिनमें से 51 टियर II और टियर III शहरों में हैं ।

वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान एसटीपीआई की निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं/केन्द्रों का परिचालन शुरू हो गया :

1. इंदिरानगर, अगरतला में 38,251 वर्ग फीट की अतिरिक्त इन्क्यूबेशन सुविधा।
2. भोपाल में 24,427 वर्ग फीट की नई इन्क्यूबेशन सुविधा।
3. भिलाई में 25,011 वर्ग फीट की अतिरिक्त इन्क्यूबेशन सुविधा।
4. प्रयागराज में 15,392 वर्ग फीट की अतिरिक्त इन्क्यूबेशन सुविधा।
5. भुवनेश्वर में 74,900 वर्ग फीट का एसटीपीआई–एलीट भवन।
6. गोवा में 4000 वर्ग फीट की इन्क्यूबेशन सुविधा सहित नए केंद्र को 15 जुलाई, 2018 से परिचालित किया गया।
7. देवघर में 40,650 वर्ग फीट की इन्क्यूबेशन सुविधा सहित नए केंद्र को 16 फरवरी, 2019 से परिचालित किया गया।

निम्न नये केन्द्रों में बुनियादी ढांचे की स्थापना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणो में है :

1. कोहिमा
2. ईटानगर
3. आगरा
4. अमृतसर
5. गोरखपुर
6. मेरठ
7. कोचि
8. बालासोर
9. धनबाद
10. जमशेदपुर
11. बोकारो
12. भागलपुर
13. दरभंगा
14. कोरापुट

निम्नलिखित बुनियादी सुविधाओं/केन्द्रों की आधारशिला रखी गयी :

1. 9 फरवरी, 2019 – एसटीपीआई, भागलपुर और दरभंगा
2. 2 फरवरी, 2019 – एसटीपीआई इन्क्यूबेशन केंद्र, पटना
3. 2 जुलाई, 2018 – एसटीपीआई इन्क्यूबेशन केंद्र, शिमला

डेटा संचार सेवाएं

डेटा संचार सेवाओं का प्रावधान

एसटीपीआई का सॉफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र में एक उल्लेखनीय योगदान उच्च गति की डेटा संचार (एचएसडीसी) सेवाएं उपलब्ध कराना है। एसटीपीआई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया, अत्याधुनिक एचएसडीसी नेटवर्क, सॉफ्टनेट, सॉफ्टवेयर निर्यातकों को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध है।

एसटीपीआई केन्द्रों में अंतर्राष्ट्रीय गेट्वे तक स्थानीय लूप के लिए स्थानीय अभिगम, प्वाइंट–टू–प्वाइंट और प्वाइंट–टू–मल्टी प्वाइंट माईक्रोवेव रेडियो के जरिए उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें लास्ट माईल समस्या को दूर किया गया है तथा एसटीपीआई लगभग 99.9 प्रतिशत का उच्च अप–टाईम कायम रखने में सक्षम हुआ है। जहाँ कहीं भी संभव हैं, वहाँ स्थलीय केबल (फाइबर/कॉपर) भी इस्तेमाल किये जाते हैं। ये संचार सुविधाएँ अपतटीय सॉफ्टवेयर कार्यकलापों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं और कई आईटी/आईटीईएस उद्यमों की सफलता के लिए आधार के रूप में कार्य करती हैं।

एसटीपीआई अपने नेटवर्क के जरिये निम्नलिखित एचएसडीसी सेवाएं उपलब्ध कराता हैः

- अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत परिपथ (आईपीएलसी)–सॉफ्टप्वाइंट
- साझेदारी पर आधारित इंटरनेट सेवाएं–सॉफ्टलिंक
- वीसैट सेवाएं
- को–लोकेशन सेवाएं

सॉफ्टप्वाइंट

सॉफ्टप्वाइंट सेवा "अंतर्राष्ट्रीय निजी पट्टाकृत परिपथ (आईपीएलसी)" का प्रावधान करने की प्रक्रिया है। आईपीएलसी अंतर्राष्ट्रीय आँकड़ा संप्रेषण के लिये उपलब्ध अंकीय परिपथ है, जिसका प्रयोग डेटा ट्रांसमिशन और संचार आदि के लिए होता है। आईपीएलसी सुरक्षित एवं पूर्णतः प्रयोक्ता अनुकूल है और भारी मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय डेटा ट्रांसमिशन करने वाली कंपनियों के लिए आदर्श साधन हैं।

सॉफ्टलिंक

सॉफ्टलिंक एक ऐसी सेवा है, जो साझेदारी और विश्वसनीयता के आधार पर इंटरनेट अभिगम्यता उपलब्ध करा रही है। उद्योगों की बढ़ती हुई माँग को पूरा करने की दृष्टि से बेहतर गुणवत्ता और प्रतिबद्धता के लिए यह सेवा शुरू की गयी थी। आज काफी संख्या में ग्राहकों द्वारा सॉफ्टलिंक सेवा का लाभ उठाया जा रहा है। वर्ष 2018–19 में, पूरे देश में, एसटीपीआई लगभग 14,130 एमबीपीएस इंटरनेट बैंडविड्थ की सुविधा दे रहा है, जिनमें अधिकतर एसटीपीआई पंजीकृत इकाइयां हैं।

अभिगम्यता नेटवर्क/अंतिम छोर तक संपर्क

अंतिम छोर तक विश्वसनीय सम्पर्क उपलब्ध कराने की दृष्टि से एसटीपीआई ने प्वाइंट–टू–प्वाइंट और प्वाइंट–टू–मल्टी प्वाइंट बेतार नेटवर्क का प्रयोग करते हुए स्वयं का सूक्ष्म तरंग नेटवर्क स्थापित किया है, जिससे एसटीपी इकाइयों की मूल आवश्यकताएं पूरी होती हैं। माइक्रोवेव ईथरनेट रेडियो जैसी नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से नेटवर्क और अधिक सुदृढ़ हुआ है तथा एसटीपीआई के कुल नियंत्रण में लम्बी दूरी के साथ अंतिम छोर तक बड़ी बैंडविड्थ की डिलीवरी कर सका है।

एसटीपीआई–बेंगलुरु पिछले कई वर्षों से सेटेलाईट कैरियर मॉनिटरिंग सर्विसेज (सीएमएस) और कैम्प मॉड्युलेशन डिटेक्शन सर्विसेज (सीएमडीएस) सेवाएं प्रदान कर रहा है। इन सेवाओं का सामान्य रूप से सीएसएमई सुविधा (संचार प्रणाली तथा निगरानी उपस्कर) के जरिए डाउनलिंक सिग्नल की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें भारतीय समुद्री क्षेत्र शामिल है।

परियोजना प्रबंधन और परामर्श (पीएमसी) सेवाएं

पिछले कई वर्षों में, एसटीपीआई प्रौद्योगिकी सेवाओं ने मात्रा और सेवा दोनों पोर्टफोलियो में बहुत विकास किया है। आज, एसटीपीआई के बहुरंगी गुलदस्ते में संचार एवं आईटी, परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाऐं और आईटी सुरक्षा लेखापरीक्षा सेवाऐं शामिल हैं और ये सरकारी विभागों, आईटी उद्योग, शिक्षा जगत के साथ–साथ विदेशी सरकारी संगठनों सहित ग्राहकों की सेवा में कार्यरत हैं।

एसटीपीआई अपने ठोस डोमेन ज्ञान, तकनीकी क्षमता तथा प्रक्रिया ज्ञान के जरिए अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तदनुकूल समाधान हेतु बेहतर रणनीति बनाने में सक्षम हुआ है। इन समाधानों के परिणामस्वरूप संस्थागत संसाधनों का उचित उपयोग और अपेक्षाऐं पूरी हुई हैं। दशकों से, एसटीपीआई ने परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं प्रदान करके कई सरकारी संगठनों की सहायता की है।

खजाने–II परियोजना के लिए परामर्श सेवाएं

ट्रेजरी विभाग, कर्नाटक सरकार ने अपने परिचालन को वर्ष 2002 के दौरान कम्प्यूटरीकृत किया था। नेटवर्क ढांचा "वीसैट" पर तैयार किया गया था और इसका रखरखाव वर्ष 2010 तक एसटीपीआई द्वारा किया गया था, जो बाद में केएसडब्लूएएन को स्थानान्तरित हो गया। विभाग अपने विकेंद्रीकृत आर्किटेक्चर अर्थात खजाने–I को केंद्रीकृत आर्किटेक्चर अर्थात खजाने–II में परिवर्तित कर रहा है। खजाने–II, एक एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) है, जो राज्य बजट के व्यापक लेखा प्रणाली पर ध्यान देता है और उसे दिन प्रति दिन की गतिविधियों के लिए एकीकृत खजाने–II का उपयोग करने के लिए कर्नाटक में सभी हितधारियों के साथ एकीकृत किया गया है।

आईसीटी संरचना और डेटा सेंटर के निर्बाध संचालन के लिए विभाग ने एसटीपीआई की परामर्श सेवाएं ली हैं।

एसटीपीआई ने खजाने–II डेटा सेंटर, डीआर/बीसीपी स्थापित करने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं और खजाने–II परियोजना के संचालन में मदद की है।

परियोजना स्कोप :

- खजाने–II के डीसी, डीआर और आईसीटी संरचना की जरूरतों को अंतिम रूप देने में सहायता दी है।
- ट्रेजरी कार्यालय के लिए अनेक आईटी/नॉन–आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया में सहायता करना।
- पूरे 218 ट्रेजरी कार्यालयों में लैन स्थापित करने के दौरान और डेटा सेंटर में नॉन–आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करने में सिस्टम इंटीग्रेटर के साथ समन्वय।
- परियोजना कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए परियोजना की प्रगति की समीक्षा और प्रबंधन को अद्यतन करना।

कर्नाटक म्युनिसिपल डेटा सोसाइटी (केएमडीएस) (विगत में एमआरसी के रूप में ज्ञात) डेटा सेंटर हेतु डेटा सेंटर संरचना सेवाएं

एसटीपीआई, कर्नाटक म्युनिसिपल डेटा सेंटर के लिए परिचालन और रख रखाव सेवाएं प्रदान कर रहा है, जिसमे केएमडीएस डेटा सेंटर के आरंभ से ही नागरिक केन्द्रित एप्लीकेशन के लिए सर्वर और सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, डीबीए, आदि शामिल है। केएमडीएस को एसएएन और इंटरनेट जैसी सम्बद्ध सेवाएं भी दी जा रही हैं। इसके साथ म्युनिसिपल प्रशासन निदेशालय (डीएमए) सफलतापूर्वक सभी नागरिक केन्द्रित एप्लिकेशन्स प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई ने सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान की हैं और सिस्टम, डाटाबेस और नेटवर्क का 99.9 प्रतिशत अपटाइम बनाए रखने में सफल रहा है।

परियोजना स्कोप :

केएमडीएस डेटा सेंटर के लिए निम्नलिखित सुविधा प्रबंधन (संचालन और रखरखाव) सेवाएं शामिल हैं:

- सिस्टम प्रशासन

- नेटवर्क प्रशासन
- डेटाबेस प्रशासन
- आईटी प्रबंधन समर्थन सेवाएं

बंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल), कर्नाटक सरकार को ऑफसाईट डेटाबेस प्रशासन (डीबीए) सहायक सेवाएँ

एसटीपीआई वीपीएन के माध्यम से बीएमआरसीएल को दूरस्थ डेटाबेस के लिए ऑफसाईट डेटाबेस प्रशासन (डीबीए) सहायक सेवा प्रदान कर रहा है और डीआर की स्थापना में डेटाबेस प्रतिकृति तथा ऑरेकल डेटाबेस को विंडोज प्लेटफॉर्म से लिनेक्स में बदलने के लिए बीएमआरसीएल को सेवा प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई उन्नत अपटाइम, प्रणाली उपलब्धता और बेहतर कार्य निष्पादन के साथ सफलतापूर्वक सेवाएं प्रदान कर रहा है।

परियोजना स्कोप :

- जब और जहाँ जरूरी हो, रिमोट एक्सेस की सहायता से बीएमआरसीएल के डेटाबेस की आवधिक देखभाल, जिसमें प्रदर्शन सुधार, बैकअप, पैच अपडेट, आदि शामिल हैं।
- डीआर की स्थापना, डेटाबेस प्रतिकृति और ऑरेकल डेटाबेस को विंडोज प्लेटफॉर्म से लिनेक्स में बदलने के लिए बीएमआरसीएल को सहायता प्रदान करना।

इंटीग्रेटेड सिटी ऑपरेशन प्लेटफार्म (आईसीओपी) सहित स्मार्ट सिटी एप्लिकेशन प्रदान करने के लिए केंद्रीकृत डेटा सेंटर स्थापित करने हेतु परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं

शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन (एससीएम) शुरू किया है। कर्नाटक में कर्नाटक अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्लपमेंट एंड फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (केयुआईडीएफसी) स्मार्ट सिटी मिशन के लिए राज्य स्तरीय नोडल एजेंसी (एसएलएनए) है। स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य ऐसे शहरों को बढ़ावा देना है, जो मौलिक संरचना प्रदान करे, अपने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता युक्त जीवन स्तर प्रदान करे और सेवाओं एवं मौलिक ढांचे में सुधार के लिए स्मार्ट समाधान लाये ।

केयुआईडीएफसी ने पांच शहरों (हुबली–धारवाड़, मेंगुलुरु, तुमकुर, शिमोगा और दावणगेरे) में पांच चीजों की पहचान की है, जिनको कर्नाटक म्यूनिसिपल डाटा सोसाइटी (केएमडीएस) राजाजीनगर, बेंगलुरु में केंद्रीकृत रुप में शुरू किया जा सकता है। सभी पाँच शहरों के लिए कॉमन सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर आईसीटी संसाधनों के बेहतर उपयोग में सहायता करेगा।

परियोजना स्कोप

केयूआईडीएफसी शहरी विकास विभाग,कर्नाटक सरकार ने म्युनिसिपल प्रशासन निदेशालय (डी एम ए) के माध्यम से एसटीपीआई को परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है, जो स्मार्ट सिटी अनुप्रयोज्यता सहित इंटीग्रेटेड सिटी ऑपरेशन्स प्लेटफॉर्म (आईसीओपी) शुरू करने के लिए केंद्रीकृत डेटा सेंटर स्थापित करेगा ।

एसटीपीआई की सेवा के व्यापक दायरे में डेटा सेंटर का डिजाइन तैयार करना, आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर (आईटी और गैर आईटी) का आकार तैयार करना, डीपीआर तैयार करना, उपयुक्त सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए आरएफपी कागजात तैयार करना, कार्यान्वयन के दौरान परियोजना की निगरानी आदि शामिल हैं ।

एसटीपीआई ने बोली मूल्यांकन और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के दौरान केएमडीएस की सहायता की है। वर्तमान में डेटा सेंटर कार्यान्वयन कार्य प्रगति पर है और एसटीपीआई परियोजना निगरानी सेवा प्रदान कर रहा है।

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के केन्द्रीय कार्यालय के नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर के उन्नयन के लिए परियोजना प्रबंधन और परामर्श सेवाएं

कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) का केन्द्रीय कार्यालय शांति नगर, बेंगलुरु में स्थित है, जिसका निर्मित क्षेत्र 6400 वर्ग मीटर है। केएसआरटीसी

19 मंडलों, 108 डिपो में अपनी सेवाएं प्रदान करता है और पूरे कर्नाटक में इसके पास 37,019 कर्मचारियों का कार्य बल है, जिसमें काफी वृद्धि हो रही है। केएसआरटीसी के केन्द्रीय कार्यालय से अनेक आंतरिक विभाग और परियोजनाएं चल रही हैं।

केएसआरटीसी कार्यालय का वर्तमान लैन नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी असंरचित है, अतः केएसआरटीसी ने एसटीपीआई को कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम (केएसआरटीसी) के केन्द्रीय कार्यालय के नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ अद्यतन करने के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार नियुक्त किया है, जो निगम द्वारा प्रभावकारी रूप से कार्य करने और प्रयोक्ताओं की उन्नत तरीके से सेवा करने के लिए अधिकतम उपलब्धता, विश्वसनीयता, सुरक्षा और मापनीयता पर ध्यान देगा।

परियोजना स्कोप :

एसटीपीआई की व्यापक सेवाओं में वर्तमान नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का एज़–इज अध्ययन, सम्पूर्ण नेटवर्क आर्किटेक्चर अर्थात मापनीयता, अतिरिक्तता और सुरक्षा सहित लैन और वैन का डिजाइन तैयार करना, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, उपयुक्त सिस्टम इंटीग्रेटर के चयन के लिए आरएफपी कागजात तैयार करना, कार्यान्वयन के दौरान परियोजना की निगरानी आदि शामिल हैं।

एसटीपीआई ने आरएफपी कागजात प्रस्तुत किया है और केएसआरटीसी सिस्टम इंटीग्रेटर की पहचान कर रहा है।

खान जाँच गेट्स हेतु सीयूजी नेटवर्क की स्थापना

एसटीपीआई–भुवनेश्वर को खदान निदेशालय, ओडिशा सरकार ने कोइरा खदान क्षेत्र, उडीसा में छह जांच गेटों और उपनिदेशक खदान कार्यालय के बीच सीयूजी नेटवर्क की स्थापना का काम दिया है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- स्रोत पर जारी ई–पास का ऑनलाइन सत्यापन
- चेक गेट्स पर गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण
- वास्तविक समय के आधार पर लाइव सर्वर में डेटा को सिंक्रोनाइज करना
- 24x7x365 आधार पर सहायता प्रदान करना
- एसटीपीआई, परियोजना के परियोजना प्रबंधन और परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रहा है और चयनित एजेंसियों के माध्यम से निम्नलिखित समाधान/सेवाएं प्रदान कर रहा है :–
- डीडीएम कोईरा कार्यालय और 6 चेक गेट्स को जोड़ने के लिए एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण ।
- ऑनलाइन जांच और अपडेट के लिए चेक गेट स्तर पर आधुनिक आईटी संरचना की स्थापना करना।
- वास्तविक समय निगरानी बनाए रखने के लिए निगरानी सुविधा का निर्माण करना।
- प्रबंधन और समाधान की निगरानी के लिए विशेषज्ञ कर्मियों के साथ पीएमयू प्रबंध।
- यह परियोजना, जो 31 मार्च, 2015 को शुरू की गई थी, छह वर्षों तक चलेगी। एसटीपीआई उपरोक्त अवधि के दौरान परियोजना के परिचालन और रख–रखाव के लिए उत्तरदायी है।

क्योंझर और जाजपुर रोड खान सर्किल हेतु सीयूजी नेटवर्क की स्थापना

एसटीपीआई–भुवनेश्वर को खदान निदेशालय, ओडिशा सरकार ने क्योंझर और जाजपुर रोड खान सर्किल, ओडिशा में बारह जांच गेटों और उपनिदेशक खदान कार्यालय के बीच सीयूजी नेटवर्क की स्थापना का काम दिया है, जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं :

- चेक गेट्स और क्योंझर के खान कार्यालय और 3 चेक गेट्स और जाजपुर रोड खान सर्किल के पाराद्वीप में डीडीएम और एएमओ कार्यालय को कनेक्ट करने के

लिए एक मजबूत और सुरक्षित नेटवर्क बुनियादी ढांचे का निर्माण ।

- ऑनलाइन जांच और अपडेट के लिए चेक गेट स्तर पर आधुनिक आईटी संरचना की स्थापना करना।
- वास्तविक समय निगरानी बनाए रखने के लिए निगरानी सुविधा का निर्माण करना।
- प्रबंधन और समाधान की निगरानी के लिए विशेषज्ञ कर्मी दल की तैनाती ।
- वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इन्टरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना ।
- यह परियोजना स्थापना और 18 महीने तक रख रखाव (6 महीने स्थापना के लिए और 1 वर्ष रख रखाव के लिए) के लिए 31 दिसम्बर, 2018 को आरंभ की गयी थी। एसटीपीआई उपरोक्त अवधि के दौरान परिचालन और रख रखाव के लिए जिम्मेदार है।

गोवा में गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क (जीबीबीएन) का तृतीय पक्ष ऑडिटर (टीपीए)

गोवा ब्रॉडबैंड नेटवर्क(जीबीबीएन) पूरे गोवा राज्य में यथा आवश्यक वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ आप्टिक फाइबर केबल कनेक्टिविटी सहित ब्रॉडबैंड नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर रहा है। एसटीपीआई पूरे गोवा में जीबीबीएन नेटवर्क की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष ऑडिटर (टीपीए) के रूप में कार्य कर रहा है। टीपीए एजेंसी के कार्य क्षेत्र में जीबीबीएन के कार्य क्षेत्र की निगरानी, सेवा समझौते में यथा परिभाषित अपेक्षित सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नेटवर्क की आवधिक लेखा परीक्षा शामिल है। लेखा परीक्षा का मुख्य प्रयोजन एसएलए में परिभाषित अपेक्षित सेवा शर्तों में परियोजना के लक्ष्य को हासिल करना और सेवा स्तर में सुधार के लिए सिफारिश करना है। एसटीपीआई का पाँच वर्षों के लिए टीपीए के रूप में चयन किया गया है। समझौते पर 1 अप्रैल, 2016 को हस्ताक्षर किया गया था। एसटीपीआई, त्रैमासिक गारंटीड राजस्व रिपोर्ट (क्यूजीआर), राज्य सरकार को नियमित रूप से देता आया है, जिसमें कार्यनिष्पादन लेखा–परीक्षा रिपोर्ट, एसएलए गणना और आंतरिक और सुरक्षा लेखा–परीक्षा रिपोर्ट शामिल हैं।

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) के सुरक्षित नेटवर्क के लिए पीएमसी सेवाएं

गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डीजीक्यूए) रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का एक संगठन है। डीजीक्यूए सशस्त्र बलों को आपूर्ति किए गए हथियारों, गोला–बारूद, उपकरणों और दुकानों की पूरी श्रृंखला के लिए गुणवत्ता आश्वासन कवर प्रदान करता है। गुणवत्ता आश्वासन गतिविधियों के अलावा, संगठन आयात प्रतिस्थापन के लिए जिम्मेदार है और विकास परियोजनाओं में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) के साथ संबद्ध है।

नौसेना गुणवत्ता आश्वासन इकाइयों की सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए, विभाग ने भारत में फैली 25 नौसेना गुणवत्ता आश्वासन इकाइयों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल कनेक्टिविटी स्थापित करने हेतु एसटीपीआई की परामर्श सेवाओं का लाभ उठाया है। ये इकाइयां नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए उपकरणों/प्रणालियों के निर्माण के लिए गुणवत्ता आश्वासन कवर प्रदान करने और मुख्य रूप से वर्गीकृत जानकारी से निपटने के लिए जिम्मेदार हैं। एसटीपीआई, डीजीक्यूए को उनके सुरक्षित नेटवर्क को स्थापित करने और सूचना के निर्बाध आदान प्रदान के लिए लैन और वैन के माध्यम से एक छोर से दुसरे छोर तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सहायता दे रही है।

परियोजना स्कोप

- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।
- आईटी हार्डवेयर और नेटवर्किंग उपकरणों सहित सभी स्थानों पर नेटवर्क के बुनियादी ढांचे की स्थापना।
- लीज्ड लाइन्स द्वारा वैन कनेक्टीविटी (WAN)/ अपेक्षित सुरक्षा ओवरले एमपीएलएस (MPLS) क्लाउड।
- सर्वर–हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों घटक के लिए।
- सर्वर रखरखाव, नेटवर्क प्रबंधन और हार्डवेयर के लिए सहायता।

- 3 वर्ष की वारंटी के माध्यम से लाइफ साइकल सपोर्ट और नेटवर्क के जीवन काल के लिए द्विवर्षीय वार्षिक रखरखाव अनुबंध।
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों को चालू करना।

सर्ट–इन (CERT-In), दिल्ली के लिए पीएमसी सेवाएं

सर्ट–इन (CERT-In) घटना की रोकथाम और प्रतिक्रिया सेवाएं और साथ ही सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम 2008 के अनुसार, साइबर घटनाओं की जानकारी का प्रसार, विश्लेषण और संग्रह जैसे कार्यों को करने के लिए सर्ट–इन (CERT-In) को राष्ट्रीय एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

एसटीपीआई को सर्ट–इन (CERT-In) द्वारा सातवें तल, डीएमआरसी आईटी पार्क, शास्त्री पार्क, नई दिल्ली पर संचालन और अनुरक्षण सहित प्रथम तल पर डेटा सेन्टर, स्मार्ट लैब और निगरानी सुविधा की स्थापना के लिए अनुबंधित किया गया है। यह डेटा सेन्टर खुले असुरक्षित सार्वजनिक डोमेन और संवेदनशील सरकारी वातावरण के बीच मध्यस्थ और अभिसरण बिंदु के रूप में कार्य करेगा। डेटा केन्द्र में प्रमाणीकरण मैट्रिक्स के आधार पर अपने संबधित सिस्टम तक पहुंचाने के लिए सर्ट–इन (CERT-In) को प्रमाणित करने के लिए उच्च उपलब्धता, केन्द्रीकृत प्रमाणीकरण प्रणाली होगी।

परियोजना स्कोप :

- फाल्स सीलिंग, उठी हुई फर्श, नमी रोकने और खिड़कियों और अन्य सभी आवश्यक घटकों को सुदृढ़ करने सहित डेटा सेंटर के निर्माण के लिए आवश्यक सिविल, इलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल कार्यों के सन्दर्भ में प्रस्तावित डाटा सेंटर, स्मार्ट लैब्स, ड्रिल रूम, ट्रेनिंग सेंटर, एनओसी और मॉनिटरिंग रूम की डिजाईन और साईट की तैयारी ।
- आवश्यक बुनियादी ढाँचे की आपूर्ति, स्थापना और गठन।
- बायोमीट्रिक आधारित अभिगम–नियंत्रण प्रणाली, सीसीटीवी/निगरानी प्रणाली जैसे मल्टी–लेयर भौतिक सुरक्षा, बुनियादी ढांचे की आपूर्ति, स्थापना और गठन।
- डेटा सेंटर में बुनियादी ढांचे को स्थापित करने में आपूर्ति किए गए सभी उपकरणों और उनके घटकों का एक–वर्षीय ऑनसाइट रखरखाव।
- योग्य इंजीनियरों/कर्मियों द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए 24x7x365 आधार पर डेटा सेंटर अवसंरचना संचालन के लिए ऑनसाइट सहायता।

भुवनेश्वर में फैब लैब की स्थापना

फैब लैब नवाचार और अन्वेषण के लिए एक तकनीकी प्रोटोटाइप मंच है, जो विशेष रूप से स्टार्ट–अप/उद्यमियों/एसएमई/स्टार्ट–अप समुदायों को स्थानीय उद्यमिता के लिए प्रोत्साहन प्रदान करता है। यह सीखने और नवाचार, गेमिंग, सृजन, मेंटर, आविष्कार करने के लिए एक मंच है। यह उद्यमियों को कम लागत पर प्रोटोटाइप बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है।

फैब लैब व्यवसाय और इनक्यूबेटर, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, सामुदायिक कॉलेज, संग्रहालय और पुस्तकालय, सामुदायिक केंद्र और सरकारी कार्यालय, विश्वविद्यालय और स्कूल का हिस्सा हो सकता है।

एसटीपीआई ने समतुल्य अनुदान के माध्यम से परियोजना की सहायता के लिए ओडिशा सरकार के साथ हाथ मिलाया है। यह ओडिशा राज्य में उभरती हुई अवधारणाओं, नवोन्मेषी व्यावसायिक विचारों और स्टार्ट–अप इकाइयों को उद्यमशीलता उपक्रमों में विकसित होने के लिए रचनात्मकता सहायता देते हुए एक सहायक मंच बनाने में संयुक्त पहल को सुदृढ़ करेगा।

एसटीपीआई गुजरात और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के साथ उन क्षेत्रों में फैब लैब्स स्थापित करने के लिए बातचीत कर रहा है।

अनिवार्य पंजीकरण आदेश (सीआरओ) के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की निगरानी गतिविधि

देश की जरूरतों को पूरा करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार की सेवा के लिए विश्व स्तर पर एक प्रतिस्पर्धी

इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और निर्माण उद्योग बनाने की दृष्टि से, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा 19 नवंबर, 2012 को राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति (एनपीई) अधिसूचित की गयी थी। नीति स्पष्ट रूप से पूरे देश में गुणवत्ता मूल्यांकन बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और सेवाओं के मानकों और प्रमाणन को विकसित करने और अनिवार्य बनने के लिए एक संस्थागत तंत्र के सृजन करने की आवश्यकता पर स्पष्ट रूप से बल देती है। नीति निम्नलिखित उद्देश्य के साथ प्रभावी होती है:

- भारतीय उपभोक्ताओ को विश्व स्तरीय उत्पाद का लाभ देना।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा लाने के लिए घरेलू उत्पादों की गुणवत्ता का उन्नयन।
- गैर–अनुपालन माल के डंपिंग को रोकने के लिए नीति विकसित करना।

नीति में दिए गए उद्देश्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने 3 अक्टूबर 2012 को अधिसूचित 'इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी माल (अनिवार्य पंजीकरण के लिए आवश्यकता) आदेश, 2012' के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की पचास श्रेणियों को उपभोक्ता मामले विभाग की अनिवार्य पंजीकरण योजना के तहत भारतीय सुरक्षा मानक के अनुपालन को अनिवार्य बनाने का आदेश दिया।

अधिसूचित उत्पादों पर ध्यान देने के लिए उद्योग अनुकूल तरीके से पैन–इंडिया निगरानी प्रक्रिया के लिए, एमईआईटीवाई ने एसटीपीआई को निगरानी गतिविधि का कार्य सौंपा है।

दिनांक 06–मार्च 2018 के आदेश के अनुसार, एसटीपीआई अनिवार्य पंजीकरण आदेश के अनुसार निगरानी से संबंधित निर्धारित कार्य करेगा। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (एसटीपी) और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क (ईएचटीपी) जैसी सांविधिक योजनाओं को क्रियान्वित करने में एसटीपीआई का अनुभव, साथ ही पूरे भारत में एसटीपीआई के कार्यबल और कार्यालयों का नेटवर्क और इन–हाउस क्षमता और प्रशिक्षण का अनुभव उसे अनिवार्य पंजीकरण योजना के अंतर्गत इन कार्यकलापों को प्रबंधित और निष्पादित करने में सक्षम बनाता है।

बीपीओ संवर्धन योजनाएं-आईटी नौकरियों का सृजन

संतुलित क्षेत्रीय विकास और छोटे शहरों में आईटी उद्योग के विस्तार के लिए, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल भारत पहल के तहत भारत बीपीओ संवर्धन योजना (आईबीपीएस) और पूर्वोत्तर बीपीओ संवर्धन योजना (एनईबीपीएस) आरम्भ की हैं। इन योजनाओं के उद्देश्य छोटे शहरों में बीपीओ/आईटीईएस परिचालन स्थापित कर स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर और संबंधित क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए निवेश आकर्षित करना हैं। एसटीपीआई दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है। उपरोक्त योजनाएं पात्र कंपनियों को वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में प्रति सीट 1 लाख रूपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं।

एनईबीपीएस का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में 5000 सीटों की स्थापना के लिए सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत बीपीओ/आईटीईएस के संचालन के लिए 15 सफल बोलीदाताओं को 1625 सीटें आवंटित की गई हैं।

उत्तर–पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और मेट्रो शहरों को छोड़कर आईबीपीएस योजना के अंतर्गत, पूरे देश में 48,300 सीटों के वितरण की योजना बनाई गई है। आईबीपीएस के तहत पूरे देश में बीपीओ/आईटीईएस ऑपरेशन की स्थापना के लिए 204 सफल बोलीदाताओं को 36,292 सीटों का आवंटन किया गया है।

एनईबीपीएस स्थिति

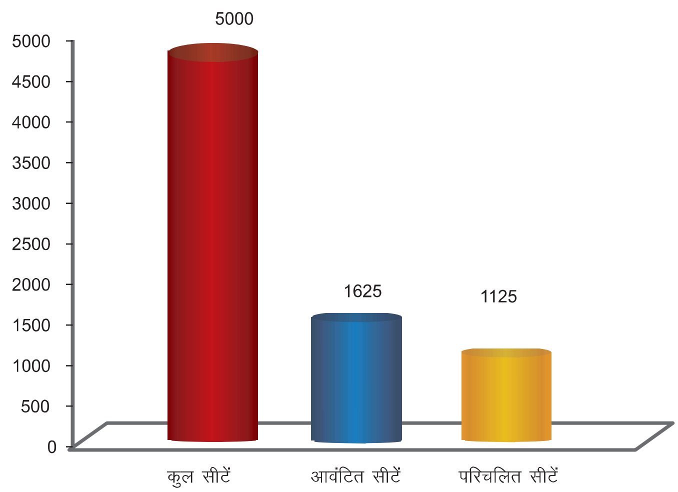

आईबीपीएस स्थिति

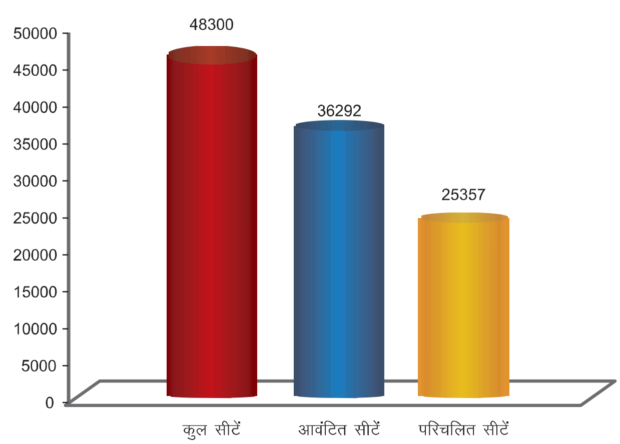

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस (सीओई)

माननीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने पूरे भारत में सहयोगी तरीके से एसटीपीआई द्वारा डोमेन केन्द्रित "सेंटर ऑफ एक्सिलेंस" (सीओई) स्थापित करने के सम्बन्ध में 13 फरवरी 2018 को एक घोषणा की है, ताकि यह सुनिश्चित हो कि भारत आईओटी, ब्लाकचेन, फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग और एनीमेशन, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और हेल्थ इन्फार्मेटिक्स, डेटा साइंस और एनालिटिक्स, साइबर सिक्यूरिटी, चिप डिजाइनिंग, ईएसडीएम, आदि उभरते क्षेत्रों में नेतृत्व और उदीयमान उद्यमियो की एक नयी पौध का निर्माण करे।

एसटीपीआई ने इस अवधारणा को और आगे बढ़ाते हुए देश के विभिन्न भागों में उपयुक्त सहभागियों के साथ सहयोग कर अनेक डोमेन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

प्रत्येक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस एक एकल–खिड़की सुगमता केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जिसका उद्देश्य भारत सरकार, विभिन्न राज्य सरकारों, उद्योग, शैक्षणिक समुदायों, डोमेन और प्रौद्योगिकी, वेंचर कैपिटलिस्टों और अन्य स्टार्ट अप पारिस्थिति की प्रणाली के हितधारियों के सहयोग से प्रयोगशाला और इन्क्यूबेशन, प्रशिक्षण, मेंटरिंग, हैण्ड–होल्डिंग, एक्सेस टू फण्ड, नेटवर्किंग, मार्किट आदि सहित व्यापक संरचनात्मक और मौलिक समर्थन प्रदान करना है। सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के इस सहयोगी मॉडल में प्रतिष्ठित उद्योग/शैक्षणिक समुदायों/उद्यमियों को 'मुख्य मेंटर' के रूप में शामिल कर उसका और विस्तार किया जाता है, जो सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करता है।

सेंटर ऑफ एक्सिलेंस, जिसमे समर्पित परिचालन दल और समर्थक कर्मचारी होते हैं, द्वारा देश में ही विश्व स्तरीय आईटी उत्पाद और आईपीआर विकसित करने और "रोजगार निर्माता" बनने के लिए स्टार्ट अप का पोषण करने और उसे बढ़ावा देने के स्पष्ट उद्देश्य से उसकी आयोजना इस प्रकार की जाती है कि वह योजना, परिचालन, नेटवर्किंग, आउटरीच, मेंटरिंग और अन्य सेवाओं की देख भाल करे।

एसटीपीआई ने 31, मार्च 2019 की तारीख तक निम्नलिखित उत्कृष्टता केन्द्र आरम्भ किया है:–

- एसटीपीआई, बेंगलुरु में आइओटी ओपन लैब, एक आइओटी–इलेक्ट्रोनिक्स सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
- एसटीपीआई, चेन्नै में फिन ब्लू, एक फिन टेक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस

- एसटीपीआई भुवनेश्वर में इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क एक ईएसडीएम सेंटर ऑफ एक्सिलेंस

तीनों सेंटर ऑफ एक्सिलेंस के बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गयी है:–

1. बेंगलुरु में एसटीपीआई आइओटी ओपन लैब

"इन्टरनेट ऑफ थिंग्स" अथवा आईओटी एक संगणक अवधारणा है, जो इन्टरनेट से जोड़ी जानेवाली रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं की अवधारणा को एकजुट/संलग्न/संपुटित करता है और अन्य डिवाइसेज/साधनों के साथ अपनी पहचान बनाता है और उनके साथ संवाद बनाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि 9 बिलियन डॉलर के बाजार में भारत शीघ्र ही 1.9 बिलियन डॉलर का आईओटी स्थापित करेगा। आईओटी प्रौद्योगिकी उद्योग में अगला बड़ा कदम है। सिर्फ बेंगलुरु 'भारत के सिलिकॉन वैली में ही 500 स्टार्टअप हैं, जो आईओटी पर ही सॉल्यूशन विकसित कर रहे हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स ऐरो इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य के सहयोग से बेंगलूरु में एसटीपीआई आइओटी ओपन लैब स्थापित की जा रही है। आइओटी ओपन लैब का उद्देश्य एक प्रौद्योगिकी मंच का सृजन करना है, ताकि नए स्टार्ट अप आइओटी आधारित एप्लीकेशन, उत्पाद और सॉल्यूशन विकसित कर सकें, जो न सिर्फ घरेलू जरूरतों को ही पूरा करेगा बल्कि इसका परिप्रेक्ष्य भी वैश्विक होगा। ओपन लैब में 4,200 वर्ग फीट का रेडी टू वर्क प्लग एंड प्ले स्थान, पूरे सैंपल बैंक, टेस्ट उपकरण और तकनीकी सहायता, आतंरिक इंजीनियरिंग टीम द्वारा तकनीकी मेंटरिंग और समर्थन, वित्तीय संसाधनों तक पहुँच, मार्केटिंग सपोर्ट, आदि से सुसज्जित आइओटी लैब उपलब्ध है। इसका लक्ष्य पांच वर्ष की अवधि में प्रति वर्ष 100 स्टार्ट अप का समर्थन और पोषण (फिजिकल और वर्चुअल) करना है।

2. चेन्नई में फिन टेक सीओई

डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास और आम जन जीवन पर इसके असर के साथ वित्तीय डोमेन के प्रौद्योगिकी परिदृश्य मे काफी बदलाव आया है। वित्तीय प्रौद्योगिकी या फिन टेक मे प्रतिस्पर्धा रोजगार सृजन और उत्पादकता के लिए अर्थव्यवस्था मे एक नए युग, नवाचार की शुरुआत करने की संभाव्यता है। फिन टेक न सिर्फ मुद्रा के डिजिटीकरण के बारे मे है, बल्कि यह आंकड़ों के मुद्रीकरण के बारे में भी है। फिन टेक सॉल्यूशन्स मे सभी व्यापारियों विशेषकर नए और छोटे व्यापार के लिए लाभ की संभाव्यता काफी अधिक है। फिन टेक ऐसे सॉल्यूशन्स देता है, जो निचले पैमाने पर कुशल और प्रभावी है, छोटे छोटे उद्यमियों को लाभ पहुंचाता है और विभिन्न प्रकार के अधिक से अधिक वित्तीयन विकल्पों की उपलब्धता बढ़ाता है। फिन टेक न सिर्फ निवेशकर्ताओं, ऋणदाताओं और ऋणकर्ताओं मे एक दूसरे से मिलने की क्षमता बढ़ाता है, बल्कि एक समान स्तर का मंच प्रदान भी करता है, जिससे खुदरा निवेशकों को अधिक भागीदारी का अवसर मिलता है। फिन टेक उन तरीकों को बदल रहा है, जिसमें लोग उंगलियों की नोक पर लेन–देन करते हैं।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य के साथ एमईआईटीवाई, राज्य सरकार, आईआईटी मद्रास, टीआईई चेन्नई और विभिन्न औद्योगिक भागीदारों जैसे कि इंटेल्लेक्ट डिजाइन, एनपीसीआई, येस बैंक, पे पाल, पोंटाक वैंचर, आरबीएस, टोरस इनोवेशन आदि की भागीदारी से एक फिन टेक सेंटर ऑफ एक्सिलेंस की स्थापना की जा रही है, जो फिन टेक के साथ काम करने मे अभिनव स्टार्ट अप और उद्यमियों को पूरी सहायता और समर्थन प्रदान करेगा ।

यहाँ उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं मे 100 रेडी टु वर्क प्लग–एन–प्ले स्पेस, एक्सेस टू एपीआई, भागीदार बैंकों का पेमेंट गेट वे और सैंड्बोक्स एनवायरनमेंट और एनपीसीआई, मेसर्स इंटेल्लेक्ट का कनैवास टेक्नोलॉजी, तकनीकी मेंटरींग और सहायता, वित्तीय संसाधनों (एंजेल फंडिग, सीड फंड, वीसी आदि) नेटवर्किंग और मार्केटिंग गतिविधियों तक पहुँच शामिल है। सबसे अच्छे स्टार्ट अप के चयन के लिए हेकेथन और बिजनेस/आइडिया चैलेंज के रूप मे एक व्यापक जांच आयोजित की जाएगी। फिन टेक सीओई का उद्देश्य 5 वर्षों तक उन 58 स्टार्ट अप की सहायता और पोषण करना है, जो फिन टेक मे उत्पाद और/या सेवाएं विकसित करेंगे।

3. भुवनेश्वर में इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क

इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत के सबसे अधिक आयातित मदों में से एक है। इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि

भारत आयातित इलेक्ट्रॉनिक्स पर अपनी निर्भरता को कम करे और घरेलू उत्पादन बढ़ाये। अपनी मेक इन इंडिया पहल से सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के घरेलूकरण पर विशेष बल दिया है, फलस्वरूप पूरे देश में मोबाइल निर्माता कंपनियां सफलतापूर्वक स्थापित हुई हैं। हालांकि यह पर्याप्त नहीं है और अभी काफी कुछ और किया जाना अपेक्षित है। एसटीपीआई ने उपरोक्त परिकल्पना के अनुरूप अपनी तरह का पहला इएसडीएम इन्क्यूबेशन सेंटर "इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क" (ईपी) नई दिल्ली में स्थापित किया है। नई दिल्ली स्थित इलेक्ट्रोप्रेन्योर पार्क (ईपी) बेहद सफल रहा है, जिससे अनेक स्टार्ट अप का वित्त पोषण हुआ है और अनेक पेटेंट्स दर्ज किये गए हैं। इपी ने 31 मार्च 2019 तक सफलतापूर्वक चार सत्र पूरा किया है। वर्तमान में अपने पांचवें सत्र में इपी ने कुल 33 स्टार्ट अप को उनके संबन्धित उद्यमिता सफर मे लाभ पहुंचाया है। इसके अलावा, थोड़े समय में ही इन स्टार्ट अप्स ने अपनी उपलब्धियों द्वारा अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन कर दिखाया है। पांचवें सत्र के प्रारम्भ मे ही 11 बौद्धिक उत्पाद सहित 20 उत्पाद और 15 प्रोटोटाइप किए जा चुके हैं और 7 अन्तरिम पेटेंट दर्ज किए गए, जिसके परिणामस्वरूप इन स्टार्ट अप द्वारा वित्त पोषण, राजस्व सृजन किया गया और रोजगार प्रदान किए गए।

एमईआईटीवाई के सहयोग से एसटीपीआई, इस अत्यधिक सफल सहयोगी मॉडल को भारत के विभिन्न भागों में क्रियान्वित कर रहा है और अगला ईपी राज्य सरकार, शैक्षिक समुदायों की भागीदारी से भुवनेश्वर, ओडिसा मे ईएसडीएम इन्क्यूबेशन सीओई के रूप मे स्थापित किया जाएगा। आईआईआईटी, भुवनेश्वर शैक्षणिक भागीदार की भूमिका निभाएगा। आईईएसए अग्रणी औद्योगिक भागीदार होगा। भुवनेश्वर में ईपी ईएसडीएम क्षेत्र में अनुसंधान और विकास, नवाचार, उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए एक समग्र पारिस्थितिकी प्रणाली के निर्माण के माध्यम से भारत के ईएसडीएम विकास की कहानी में योगदान करेगा। यह पारिस्थितिकी प्रणाली ईएसडीएम क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास, प्रोत्साहन, इन्क्यूबेशन, नवाचार का सृजन करने के लिए आवश्यक है। यह ईएसडीएम क्षेत्र मे उत्पाद निर्माण और आईपी सृजन पर बल देगा।

इस पार्क का लगभग 7,500 वर्गफीट क्षेत्र मे निर्माण किया गया है और इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं सहित उच्च गति की कनेक्टिविटी, पावर इलेक्ट्रोनिक्स के प्रोटोटाइपिंग और जांच के लिए पूर्णतया सज्जित ईएसडीएम लैब, एलईडी, कम्युनिकेशन आरएफ वाले हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेस्ट और मेजरमेंट वाला पूरी तरह से सुस्सजित कार्यालय है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों की अवधि मे औसतन 8 इंक्यूबेटी प्रति वर्ष की दर से 35–40 इंक्युबेटियों/कंपनियों को इंक्यूबेट करना है।

संवर्धनात्मक कार्यकलाप

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुकूल परिवेश बनाकर छोटे और मध्यम उद्यमियों (एसएमई) को प्रोत्साहन

एसटीपीआई, इन्क्यूबेशन सेवाएं, कार्यक्रमों का आयोजन, प्रायोजन/सह आयोजन, कार्यक्रमों में भागीदारी, मानव संसाधन विकास और निर्यात संवर्धन प्रयासों द्वारा एसएमई और उनके उद्देश्यों को नीचे दिए अनुसार बढ़ावा दे रहा हैः

इन्क्यूबेशन सेवा

एसटीपीआई अपने विभिन्न केन्द्रों पर स्टार्ट अप इकाइयों को इन्क्यूबेशन सुविधाएं प्रदान कर रहा है। इससे स्टार्टअप इकाइयों और उद्यमियों को बहुत मदद मिलती है।

कार्यक्रमों का आयोजन

- 23 जून, 2018 को भुवनेश्वर में आयोजित इन्फोकॉम ओडिसा 2018 के दौरान ओडिशा के लिए एसटीपीआई निर्यात पुरस्कार
- 6–8 दिसम्बर, 2018 तक, कोलकाता में आयोजित इन्फोकॉम कोलकाता 2018 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए एसटीपीआई निर्यात पुरस्कार
- 27 जुलाई, 2018 को हैदराबाद में आयोजित हाईसी–एसटीपीआई पुरस्कार समारोह 2018
- 16 फरवरी, 2019 को चंडीगढ़ में आयोजित टाईकॉन चंडीगढ़ के दौरान एसटीपीआई निर्यात पुरस्कार
- एसटीपीआई ने आईटी, बीटी और एसटी कर्नाटक सरकार द्वारा आयोजित बेंगलुरु टेक समिट 2018 की सह–मेजबानी की। यह कार्यक्रम 29 नवम्बर–01 दिसम्बर 2018 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित किया गया।

एसटीपीआई ने आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उद्योगों को आईटी निर्यात पुरस्कार से सम्मानित कर उनके प्रयासों को सराहा। एसटीपीआई ने कर्नाटक क्षेत्र के 30 एमएसएमई कंपनियों के लिए निःशुल्क प्रदर्शनी स्थल को प्रायोजित किया ।

अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी

- लागोस, नाइजीरिया में 22–23 मई, 2018 तक इंडो–अफ्रीका आईसीटी एक्सपो 2018
- ताइपेई, ताइवान में 5 – 8 जून, 2018 तक कम्प्युटेक्स 2018
- सियोल, दक्षिण कोरिया में 8 –10 अगस्त, 2018 तक सॉफ्ट वेव 2018
- टोक्यो, जापान में 24 – 26 अक्टूबर, 2018 तक जापान आईटी वीक 2018

कार्यक्रमों में भागीदारी/प्रायोजन/सह–प्रायोजन

- गुवाहाटी में 27–28 अप्रैल, 2018 तक आरोहण 2018
- मुंबई में 15–18 मई, 2018 तक ग्लोबल एग्जीबीशन ऑन सर्विसेज (जीईएस)
- बेंगलुरु में 22–24 मई, 2018 तक सृष्टि 2018
- त्रिपुरा में 25 मई, 2018 को कांफ्रेंस ऑन एनेबलिंग एंट्रप्रेन्यौरशिप एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट
- गुवाहाटी में 30 जून, 2018 को गुवाहाटी स्टार्ट अप सम्मिट 2018
- बेंगलुरु में 12–13 जुलाई 2018 को 14वां इंडिया इनोवेशन सम्मिट 2018
- दिल्ली में 18 जुलाई, 2018 को इन्फोकॉम 2018–दिल्ली चैप्टर
- उदयपुर में 18–20 जुलाई तक एल्ल्युरिंग राजस्थान, 2018
- जयपुर में 29 अगस्त, 2018 को तीसरा डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव 2018
- दिल्ली में 27–30 अगस्त 2018 को इन्नोग 2018
- आईआईटी गुवाहाटी में 30 अगस्त–2 सितम्बर, 2018 तक आईआईटी गुवाहाटी का वार्षिक टेक्नो–मैनेजमेंट फेस्टिवल–टेकिंचे

- वाराणसी में 18–20 सितम्बर, 2018 तक इंटरनेशनल कांफ्रेंस ऑन इमर्जिंग मेथडालॉजीस
- लखनऊ में 5–8 अक्टूबर, 2018 तक इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2018
- देहरादून में 7–8 अक्टूबर, 2018 तक डेस्टिनेशन उत्तराखंडः : इन्वेस्टर्स सम्मिट 2018
- गांधीनगर में 11–13 अक्टूबर, 2018 तक वाइब्रेंट गुजरात स्टार्ट अप एंड टेक्नोलॉजी सम्मिट 2018
- नई दिल्ली में 26–28 अक्टूबर, 2018 तक 5 वां इंडिया आईडिया कॉन्क्लेव
- कोलकाता में 2–3 नवम्बर, 2018 तक टाईकॉन कोलकाता 2018
- भुवनेश्वर में 11–15 नवम्बर, 2018 तक मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2018
- मुंबई में 22–23 नवम्बर, 2018 तक फ्यूचर फैक्ट्री 2018
- दिल्ली में 29–30 नवम्बर, 2018 तक टाई ग्लोबल सम्मिट 2018
- पटना में 3–4 दिसम्बर, 2018 को आईडियाथन 2018
- जालंधर में 3–7 जनवरी, 2019 तक इंडिया साइंस कांग्रेस 2019
- कोलकाता में 10–11 जनवरी, 2019 तक नैसकॉम एसएमई कॉन्क्लेव 2019
- गांधीनगर में 18–22 जनवरी, 2019 तक वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो 2019
- हुबली में 24–25 जनवरी, 2019 तक टाईकॉन हुबली 2019
- हैदराबाद में 4–5 फरवरी, 2019 तक इंडिया सॉफ्ट और ग्लोबल सॉफ्ट 2019
- दिल्ली में 15–16 फरवरी, 2019 तक रिसरजेंट इंडिया युवा कॉन्कलेव 2019
- गुवाहाटी में 20–22 फरवरी, 2019 तक इमर्जिंग नार्थ ईस्ट–2019
- चंडीगढ़ में 16 फरवरी, 2019 को टाईकॉन चंडीगढ़ 2019
- विष्णुपुरी, महाराष्ट्र में 2–5 मार्च, 2019 तक डिपेक्स 2019
- शिमला में 2–3 मार्च 2019 तक "सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल फॉर हिल्ली स्टेट्स इन न्यू इमर्जिंग इंडिया" पर कॉन्क्लेव
- दिल्ली में 17 मार्च, 2019 को आवाहन 2019
- नई दिल्ली में 27–29 मार्च, 2019 तक ग्लोबल इकॉनमी जोन्स एंड कन्वेंशन 2019

एसटीपीआई एलीट भुवनेश्वर का उद्‌घाटन

एसटीपीआई–पटना, पाटलिपुत्र परिसर, पटना, बिहार में अतिरिक्त 1 लाख वर्ग फीट इन्क्यूबेशन स्पेस का शिलान्यास

बेंगलुरु में बेंगलुरु टेक समिट 2018

नई दिल्ली में दो एसटीपीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस का शुभारम्भ

एमटीएनएल-एसटीपीआई संयुक्त उद्यम

एमटीएनएल –एसटीपीआई आईटी सर्विस लिमिटेड, जो कि एमटीएनएल तथा एसटीपीआई की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी है, ने चेन्नई में 3500 वर्ग फुट के टियर III डेटा केन्द्र तथा उसके सहायक कार्यालय (5000 वर्ग फुट से अधिक) वाले एक अत्याधुनिक विश्वस्तरीय डेटा केन्द्र की स्थापना की है।

इसका मुख्य लक्ष्य है कि कम्पनी अपने आधारभूत ढाँचे को तथा अन्य कम्पनियों को भी होस्टिंग सेवा प्रदान करने लायक बना सके।

चेन्नई डाटा केन्द्र का 1200 वर्ग फीट स्थान विदेश मंत्रालय के अंतर्गत "पासपोर्ट सेवा परियोजना" के लिए मुहैया कराया गया है।

एसटीपीआई का वित्तीय विश्लेषण

एसटीपीआई का वित्तीय विश्लेषण

एसटीपीआई की वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान कुल राजस्व आय ₹ 195.79 करोड़ थी। ₹ 0.27 करोड़ के घाटे के साथ राजस्व व्यय ₹ 196.06 करोड़ (अवमूल्यन के साथ) है। पूर्व अवधि के मदों के समायोजन के बाद तुलन–पत्र में ₹ 1.36 करोड़ के अधिशेष को लिया गया है। निम्नलिखित ग्राफ राजस्व और व्यय के रूझानों को दर्शाता है :–

(₹ करोड़ में)

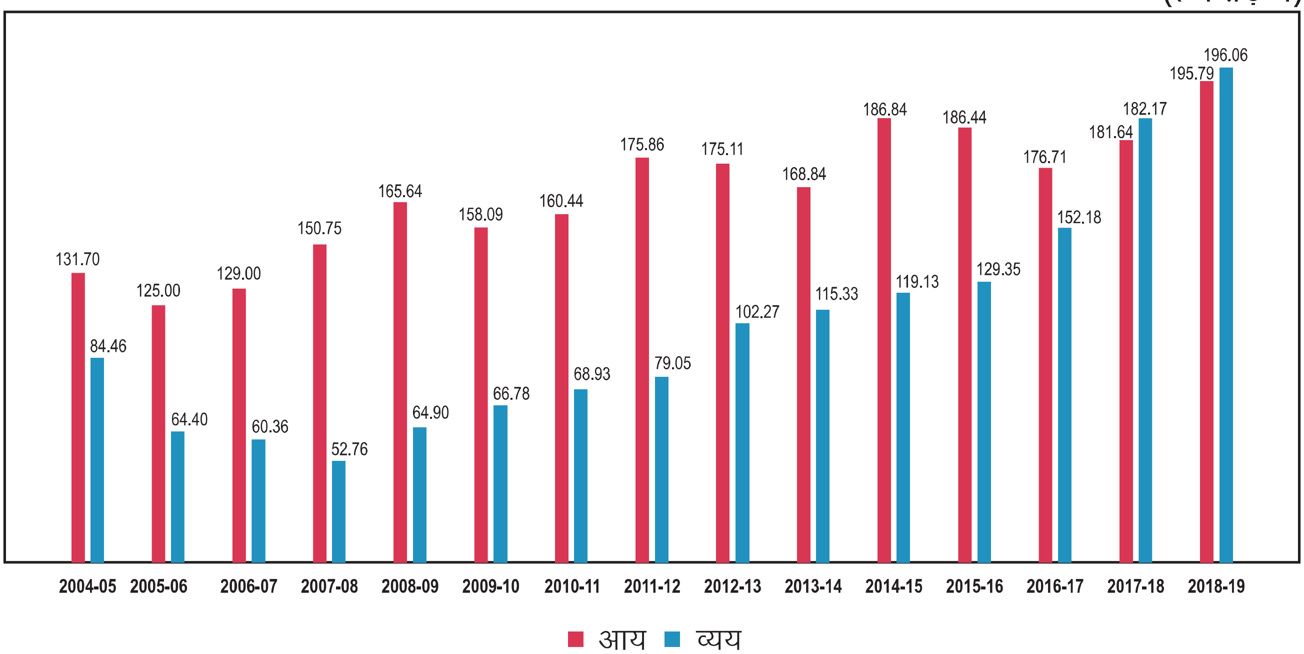

टिप्पणी: पिछले वर्षों के व्यय (2010–11 से पहले) में मूल्यह्रास व्यय शामिल नहीं है ।

लेखा विवरण

वित्तीय वर्ष 2018–19 के लेखाओं का संपरीक्षित विवरण अनुबंध–1 में दिया गया है ।

आभार

परिषद, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, विभिन्न राज्य सरकारों, देशों में स्थित भारतीय मिशनों, अंतर्राष्ट्रीय वाहकों, हमारे बैंकरों, एसटीपीआई इकाइयों के सदस्यों, सॉफ्टवेयर उद्योग संघों तथा सांविधिक लेखा परीक्षकों से प्राप्त सहयोग के लिये उनका कृतज्ञतापूर्वक आभार व्यक्त करती है। परिषद, एसटीपीआई के सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए, इसके अधिकारियों/कर्मचारियों के अथक प्रयासों के लिये उनका भी आभार मानती है।

(रविशंकर प्रसाद)
अध्यक्ष,
शासी परिषद,
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
और
विधि एवं न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री,
भारत सरकार

अनुबंध-1

वार्षिक लेखा

31 मार्च, 2019 को
समाप्त अवधि के लिए

स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट

शासी परिषद्
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया,
नई दिल्ली

दृष्टिकोण

हमने सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के संलग्न वित्तीय विवरण पत्र की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र और इस वर्ष की समाप्ति पर आय और व्यय एवं नकदी प्रवाह विवरण–पत्र तथा महत्वपूर्ण लेखांकन प्रतियों का संक्षेप और अन्य विवरणात्मक सूचना और वित्तीय विवरण जिसमे भुवनेश्वर, बेंगलुरु, चेन्नै, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, महाराष्ट्र और तिरुवनंतपुरम के निदेशालय के लेखा परीक्षकों द्वारा उस तारीख को समाप्त वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण पर टिप्पण शामिल हैं।

हमारे दृष्टिकोण में एवं हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमे दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार सिवाए हमारे रिपोर्ट के दृष्टिकोण के आधार के भाग में वर्णित मामलों के प्रभाव को छोड़ कर संलग्न वित्तीय विवरण 31 मार्च 2019 की तारीख की स्थिति के अनुसार सोसाइटी की वित्तीय स्थिति और भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी लेखा मानकों के अनुरूप वर्ष की समाप्ति पर इसके वित्तीय निष्पादन और नकदी प्रवाह का एक सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है।

दृष्टिकोण के आधार

क) संस्था ने पिछले वित्त वर्ष तक "सरकारी अनुदान का लेखांकन" लेखा मानक–12 का अनुपालन नहीं किया है। पिछली रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2018 के दौरान हुए अननुपालन में चालू वर्ष के दौरान सुधार किया गया है। इसी कारण संस्था ने उन रिपोर्टिंग अवधियों के दौरान ₹137.38 लाख के अतिरिक्त मूल्य प्रभार का प्रतिलेखन किया है। वित्तीय विवरण संख्या 13 का संदर्भ ग्रहण करें।

ख) संस्था ने अनेक वर्षों तक अपने घाटा वाले कुछ केन्द्रों के संदर्भ में "परिसंपत्तियों की हानि" लेखा मानक–28 का अनुपालन नहीं किया है। यह लेखा मानकों का उल्लघन है जिसकी हम गणना नहीं कर सके।

हमने अपनी लेखा परीक्षा भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार की है। उन मानकों के अनुसार हमारे उत्तरदायित्व हमारे रिपोर्ट के *"वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व"* भाग में आगे वर्णित हैं। हम भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार सोसाइटी से स्वतंत्र हैं और इन अपेक्षाओं तथा आचार संहिता के अनुसार हमने अपने अन्य नैतिक दायित्वों का निर्वहन किया है। हमे विश्वास है कि हमे प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्य वित्तीय विवरण–पत्र पर हमारी लेखा परीक्षा संबंधी राय प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

ध्यान देने योग्य बातें

अपने दृष्टिकोण में किसी प्रकार का परिवर्तन किये बगैर,हम वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैंः–

(क) बेतार आयोजना समन्वय की डब्ल्यूटी/लाइसेन्स शुल्क का लेखाओं में न दर्ज करने/मिलान करने के बारे में वित्तीय विवरण की अनुसूची 22 क की टिप्पणी 7 पर 31 दिसम्बर, 2004 तक दूरसंचार विभाग द्वारा माँगी गई ₹ 630.20 लाख की राशि में से ₹ 560.97 लाख की राशि की अदायगी कर दी गई है तथा इसे खाते में दर्ज कर दिया है। 01.01.2005 से 31.03.2019 तक की बाद की अवधि के लिए व्यव का प्रावधान नहीं किया गया है।

(ख) वित्तीय विवरण की अनुसूची 22 क की टिप्पणी 9(क) और 9(ख) जोकि चालू वर्ष की आस्थगित कर परिसंपत्ति/देनदारी/चालू कर को अमान्य करने के बारे में है, सोसाइटी द्वारा पिछले वर्ष की आस्थगित प्राप्तियों/देनदारियों को पर्याप्त सावधानी के तौर पर समान मूल्य पर आगे लाया गया और इसे यथोचित समय आने पर बट्टे खाते में डाला जाएगा ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बंधित व्यक्तियों का उत्तरदायित्व

इन वित्तीय विवरण को तैयार करने की जिम्मेदारी प्रबंधन वर्ग की है, जो भारत के सनदी लेखाकार संस्थान और सोसाइटिज रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 द्वारा जारी लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार सोसाइटी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्य निष्पादन एवं नकदी प्रवाह का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। इस जिम्मेदारी में सोसाइटी की परिसंपत्ति की सुरक्षा और धोखाधड़ी तथा अन्य विनियमितताओं की पहचान करने और उसे रोकने के लिए पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखना, समुचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग, तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान व्यक्त करना और ऐसे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा तैयार करना, उसका कार्यान्वयन और उसका अनुरक्षण करना है जो लेखांकन रिकॉर्ड की यथार्थता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी रूप से कार्य कर रहा है, जो वित्तीय विवरण तैयार करने और उसके प्रस्तुतिकरण से संबन्धित हैं और यह धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से उत्पन्न सभी प्रकार के मिथ्या कथन से मुक्त एकदम उचित तथा निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करता है।

वित्तीय विवरण तैयार में प्रबंधन की यह जिम्मेदारी होती कि वह संस्था के एक उन्नतिशील प्रतिष्ठान बने रहने की क्षमता का मुल्यांकन करें जिसमें उन्नतिशील प्रतिष्ठान से सम्बंधित यथा अनुप्रयोज्य मामलों का दर्शाना, प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का प्रयोग करना, जब तक कि प्रबंधन संस्थान का परिसमापन करने अथवा इसका परिचालन समाप्त करने का इरादा न रखता हो या उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई वास्तविक विकल्प न हो, शामिल हैं।

प्रशासन से सम्बंधित व्यक्तियों पर संस्थान के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण का दायित्व है।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के प्रति लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस संबंध में यथोचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या धोखाधड़ी अथवा त्रुटि, किसी भी वजह से वित्तीय विवरण समग्र रूप से मिथ्या कथन से मुक्त हैं और साथ ही सुविचारित राय से युक्त लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करना है। यथोचित आश्वासन उच्च स्तरीय आश्वासन होता है किन्तु यह इस बात की सुनिश्चितता नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुसार की गयी लेखा परीक्षा मिथ्या कथन, यदि विद्यमान भी हो, की सदैव पहचान कर लेगी। मिथ्या कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न होती है और यदि अकेले या सामूहिक रूप से वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर प्रयोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय पर प्रभाव डालते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण समझा जाता है।

लेखांकन मानक के अनुसार लेखा परीक्षा के एक भाग के रूप में हम पूरी लेखा परीक्षा में पेशेवर निर्णय लेते हैं और पेशेवर नजरिया बनाये रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:–

- वित्तीय विवरणों के जोखिमों की पहचान और उसका मूल्यांकन करते हैं चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हो या त्रुटि के कारण,उन जोखिमों से निपटने के लिए लेखा प्रक्रिया तैयार करते हैं और लेखा परीक्षा करते हैं और लेखा परीक्षा सम्बन्धी साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारे सुविचारित राय के लिए पर्याप्त और समुचित हो। धोखाधड़ी के

कारण उत्पन्न मिथ्या कथन की पहचान न कर पाने के खतरे का प्रभाव त्रुटि के कारण उत्पन्न किसी खतरे के प्रभाव से अधिक होता है क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ–गाँठ, जालसाजी, साभिप्राय चूक,गलतबयानी, आतंरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- ऐसी परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रिया तैयार करने के लिए सम्बद्ध आतंरिक नियंत्रण प्रणाली हासिल करते हैं ।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आकलनों की विश्वसनीयता और प्रबंधन द्वारा किये गए सम्बंधित प्रकटन का मूल्यांकन करते हैं।
- प्रतिष्ठान के लेखांकन आधार का प्रबंधन द्वारा उपयोग और प्राप्त लेखा परीक्षा के आधार चाहे कार्यकलापों से सम्बंधित अनिश्चितताएं विद्यमान हों अथवा ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हों जिससे प्रतिष्ठान को चलाने में सोसाइटी की क्षमता पर व्यापक प्रभाव पड़ता हो, के आधार के औचित्य के संबंध में निष्कर्ष निकलना ।यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अनिश्चितताएं विद्यमान हैं तो हम अपने लेखा परीक्षा प्रतिवेदन रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों से सम्बंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करते हैं या यदि ऐसे प्रकटन अपर्याप्त होते हैं तो अपनी राय में परिवर्तन करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में प्राप्त अद्यतन साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि भविष्य की गतिविधियों या परिस्थितियों के कारण सोसाइटी संस्था को बंद कर सकती है।
- वित्तीय विवरणों में प्रकटन सहित समग्र प्रस्तुतिकरण,संरचना और विषय वस्तु का मूल्यांकन करते हैं और इस बात का भी मूल्यांकन करते हैं कि क्या वित्तीय विवरणों में कारोबार और कार्यक्रम इस प्रकार दी गयीं हैं कि निष्पक्षता प्रदर्शित होती हो।

हम प्रशासन से सम्बंधित व्यक्तियों को अन्य बातों के अतिरिक्त योजनागत कार्य क्षेत्र,लेखा परीक्षा का समय और लेखा परीक्षा के दौरान पहचान किये गए आतंरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामियों सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों की जानकारी देते हैं।

हम प्रशासन से सम्बंधित व्यक्तियों को इस संबंध में एक वक्तव्य भी प्रदान करते हैं कि हमने अपनी स्वतंत्रता में और उनके साथ सभी स्तरों पर संचार तथा ऐसे अन्य मामलों में,जिसका हमारी स्वंतत्रता पर प्रभाव पड़ता हो, नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और जहाँ कहीं भी उपयुक्त हुआ सुरक्षोपाय अपनाये।

अन्य मामले

(क) हमने आठ निदेशालयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की है,जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2019 की तारीख को कुल परिसंपत्तियां रु26,068.91 लाख और उस तारीख को समाप्त वर्ष में कुल राजस्व रु13,721.13 लाख दिखाए गए हैं। इन निदेशालयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा निदेशालयों के लेखा परीक्षकों द्वारा की गयी है जिनके रिपोर्ट हमे प्रस्तुत किये गए हैं और निदेशालयों से सम्बंधित राशि और प्रकटन के संबंध में हमारी राय ऐसे केवल निदेशालयों के लेखा परीक्षकों के रिपोर्ट पर ही आधारित है।

(ख) 31 मार्च, 2018 की तारीख को समाप्त वर्ष के लिए सोसाइटी के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा एक अन्य सनदी लेखाकार कंपनी द्वारा की गयी थी, जिन्होंने दिनांक 24 सितम्बर, 2018 के अपने रिपोर्ट में उन वित्तीय विवरणों पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

इन मामलों में हमारा मत नहीं बदला है ।

अन्य विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के बारे में रिपोर्ट

क) हमने ऐसी सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए है, जोकि हमारे सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में खाता बहियों की जांच से पता चलता है कि सोसाइटी ने खाता बहियों को विधि के अनुसार यथा अपेक्षित तरीके से रखा है।

ग) इस रिपोर्ट में चर्चा किये गए तुलन पत्र, आय व्यय लेखा विवरण सहित नकदी प्रवाह विवरण सम्बद्ध बही खातों के अनुरूप हैं।

कृते जे. सी. भल्ला एंड कम्पनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण सं. 001111एन

(अखिल भल्ला)
भागीदार
सदस्य सं. 505002
यूडीआईएन 19505002एएएएजीडी6421

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19 सितम्बर, 2019

लेखा परीक्षक

वार्षिक लेखा
वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी आई) की सिफारिश के आधार पर एसटीपीआई के लिए सांविधिक और शाखा लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। इनकी सूची निम्न प्रकार हैः–

क्रम सं.	लेखा परीक्षक कम्पनी का नाम	लेखा परीक्षा के लिए आवांटित केन्द्र
1	**जे. सी. भल्ला एंड कंपनी** बी–17, महारानीबाग, नई दिल्ली–110065	लेखा का समेकन, लेखा परीक्षा एसटीपीआई–मुख्यालय, एसटीपीआई– नोएडा, मोहाली और जयपुर, इन्दौर, श्रीनगर, लखनऊ, देहरादून, शिमला, कानपुर, भिलाई, प्रयागराज और गुरूग्राम
2.	**एस वी आर एंड एसोसिएट्स** एस–3,द्वितीय तल, मंगलम चैंम्बर सं. 25, के एच रोड, बेंगलुरु–560027, (कर्नाटक)	बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई इकाई की लेखा परीक्षा
3.	**पटानकर एण्ड एसोसिएट्स** कार्यालय सं. 19–23, चौथी मंजिल, गोल्ड विंग्स, सं. 118/ए, प्लॉट नं. 543, पार्वती नगर, सिंघगढ़, रोड, पुणे–411030 (महाराष्ट्र)	पुणे, नवी मुंबई एवं गांधीनगर इकाई की लेखा परीक्षा
4	**ओ एम केजरीवाल एंड कं.** ए17/10, नीलगिरि निवास, एसपी सतर्कता कार्यालय के पास, सूर्य नगर, भुवनेश्वर–751 003 (ओडिशा)	भुवनेश्वर और गुवाहाटी इकाई की लेखा परीक्षा
5.	**एन एस सरमा एसोसिएट्स** टीसी 37/1080, साउथ स्ट्रीट, फोर्ट पीओ, तिरूवनंतपुरम–695023 (केरल)	तिरूवनंतपुरम

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण		अनुसूची सं0	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
निधियों का स्त्रोतः				
सामान्य निधि		1	7,390,064,100	7,376,431,209
आरक्षित एवं आधिक्य		2	136,318,566	136,318,566
चिन्हित निधि		3	1,847,333,871	1,833,009,405
	(क)		**9,373,716,537**	**9,345,759,180**
अन्तर इकाई लेखा	(ख)	4	–	–
ऋण निधि				
आरक्षित ऋण		5	–	–
अनारक्षित ऋण			57,000,000	57,000,000
	(ग)		57,000,000	57,000,000
आस्थगित कर देयताएं	(घ)		–	–
कुल (क+ख+ग+घ)			**9,430,716,537**	**9,402,759,180**
निधियों का प्रयोगः				
परिसंपत्तियां,संयत्र और उपस्कर				
सकल खण्ड		6	4,501,456,116	3,910,418,870
घटाइएः संचित मूल्यह्रास			2,622,967,874	2,367,702,455
निवल खण्ड			1,878,488,242	1,542,716,415
प्रगति पर पूँजीगत कार्य		7	1,433,664,595	1,120,332,203
	(च)		**3,312,152,837**	**2,663,048,618**
निवेश	(छ)	8	48,044,166	46,988,502
आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	(ज)		239,374,292	**239,374,292**
चालू परिसम्पत्तियाँ, ऋण तथा पेशगियाँ				
मालसूची		9	–	1,252,678
विविध देनदार		10	170,797,004	146,821,334
शेष नकद		11	2,608	3,187
ऋण तथा पेशगियाँ		12	4,973,784,432	4,664,164,208
बैंक में शेष जमा राशि		11	4,718,573,670	5,047,825,216
प्रचालनपूर्व			27,957,734	12,355,873
घटाइएः चालू देयताएं तथा प्रावधान				
चालू देयताएं		13	2,039,744,297	1,430,336,482
प्रावधान		14	2,020,225,909	1,988,738,244
निवल चालू परिसम्पत्तियाँ	**(झ)**		5,831,145,242	**6,453,347,768**
कुल (च+छ+ज+झ)			**9,430,716,537**	**9,402,759,180**
महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियां तथा लेखाओं पर दी गई टिप्पणियाँ		**22 और 22क**		

संलग्न नोट वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग हैं।

उक्त तिथि के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सी भल्ला एंड को.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं– 001111एन

(अखिल भल्ला)
भागीदार
सदस्यता सं. 505002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.09.2019

कृते सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(पी.एन. सक्सेना)	**(देवेश त्यागी)**	**(डॉ. ओंकार राय)**
निदेशक (वित्त)	वरिष्ठ निदेशक	महानिदेशक

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार आय–व्यय लेखा

(राशि ₹ में)

विवरण	अनुसूची सं0	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय			
प्रचालन आय	15	1,630,359,532	1,475,740,809
अर्जित ब्याज	16	283,033,724	285,045,775
अन्य आय	17	44,600,631	55,592,035
		1,957,993,887	**1,816,378,619**
व्यय			
डाटा लिंक प्रभार		78,363,938	66,807,431
परियोजना व्यय		48,539,432	21,437,090
कर्मचारियों की पारिश्रमिकी एवं लाभ	18	832,179,614	789,828,022
बिक्री, प्रशासन एवं अन्य व्यय	19	653,162,727	656,786,428
ब्याज एवं वित्त प्रभार	20	7,755,559	2,429,136
मूल्यह्रास	6	340,686,340	284,415,599
		1,960,687,610	**1,821,703,705**
कर से पूर्व आधिक्य/(कमी) तथा पूर्व अवधि समायोजन		**(2,693,723)**	**(5,325,086)**
पूर्व अवधि समायोजन	21	16,326,614	(8,053,317)
कर से पूर्व आधिक्य/(कमी)		**13,632,891**	**(13,378,404)**
कराधान के लिए प्रावधान			
वर्तमान आयकर		–	–
आस्थगित कर		–	–
कुल कर व्यय		–	–
कर के बाद आधिक्य/(कमी)		**13,632,891**	**(13,378,404)**
आधिक्य/(कमी) को तुलनपत्र में लाया गया		13,632,891	(13,378,404)
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ तथा लेखाओं पर दी गई टिप्पणियाँ	**22 व 22 क**		

संलग्न नोट वित्तीय विवरण के अभिन्न भाग हैं।

उक्त तिथि के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सी भल्ला एंड को.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं– 001111एन

(अखिल भल्ला)
भागीदार
सदस्यता सं. 505002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.09.2019

कृते सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(पी.एन. सक्सेना)
निदेशक (वित्त)

(देवेश त्यागी)
वरिष्ठ निदेशक

(डॉ. ओंकार राय)
महानिदेशक

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार नगद प्रवाह विवरण

(राशि ₹ में)

	विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
1	**प्रचालन गतिविधियों से नगदी प्रवाह**		
	कर एवं गत अवधि समायोजन से पहले निवल आधिक्य	(2,693,723)	(5,325,086)
	के लिए समायोजनः–		
	मूल्यह्रास	340,686,340	284,415,599
	ब्याज व्यय	7,755,559	2,429,136
	विविध देनदारों के लिए प्रावधान बट्टे खाते में डाले गए	(5,459,123)	(15,770,434)
	संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	(16,430,400)	(2,282,000)
	विविध ऋण शेष बट्टे खाते में डाले गए	(10,762,515)	(23,991,348)
	सेवानिवृति लाभ हेतु प्रावधान	(29,009,668)	78,747,093
	संदेहास्पद ऋण हेतु प्रावधान	8,396,693	8,293,500
	अशोध्य ऋण बट्टे खाते में डाले गए	766,033	3,207,254
	अचल सम्पत्ति की बिक्री पर लाभ/हानि	(552,239)	(467,320)
	ब्याज पर आय	(283,033,724)	(285,045,775)
	खर्चों का परिशोधन	1,229,741	1,229,741
	एएस–12 के अनुपालन से आय	(13,738,480)	–
	कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन आधिक्य	**(2,845,505)**	**45,440,359**
	के लिए समायोजनः–		
	विविध देनदारों में (वृद्धि)/कमी	(9,715,709)	84,617,928
	ऋण व अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	(290,714,411)	(448,170,774)
	स्टॉक सूची में (वृद्धि)/कमी	1,252,678	(1,252,678)
	चालू देयतायों और प्रावधान में वृद्धि/(कमी)	655,155,440	494,334,342
	गत अवधि समायोजन से पहले प्रचालन से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नगदी	353,132,493	174,969,177
	पूर्व अवधि समायोजन	16,326,614	(8,053,317)
	कर से पूर्व प्रचालन से उत्पन्न/(में प्रयुक्त) नगदी	**369,459,107**	**166,915,859**
	चुकाया गया प्रत्यक्ष कर	–	–
	प्रचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नगदी	369,459,107	166,915,859
2	**निवेश गतिविधियों से नगद प्रवाह**		
	अचल संपत्ति की खरीद	(843,009,049)	(365,633,080)
	संपत्ति की बिक्री	552,239	223,871,184
	निवेश की बिक्री/(खरीद)	(1,055,664)	(15,172)
	संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	16,430,400	2,282,000
	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	(313,473,167)	(481,548,536)
	अनुसूचित बैंको में जमा	380,604,989	379,292,560
	प्राप्त ब्याज	283,033,724	367,006,137
	निवेश गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नगद	**(476,916,528)**	**125,255,093**
3	वित्तीय गतिविधियों से नगद प्रवाह		
	ब्याज खर्च	(52,158)	(197,482)
	चिन्हत कोष में वृद्धि/(कमी)	147,973,968	80,000,000
	सुरक्षित ऋण में वृद्धि/(कमी)	–	–
	असुरक्षित ऋण में वृद्धि/(कमी)	–	(324,200)
	वित्तीय गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) निवल नगद	**147,921,810**	**79,478,318**
4	नगद व नगद समान में निवल वृद्धि/कमी	40,464,389	371,649,271
5	वर्ष के आरम्भ में नगद व नगद समान	631,433,244	259,783,974
	वर्ष के अंत में नगद व नगद समान	**671,897,633**	**631,433,244**

उक्त तिथि के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सी भल्ला एंड को.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं– 001111एन

(अखिल भल्ला)
भागीदार
सदस्यता सं. 505002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.09.2019

कृते सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(पी.एन. सक्सेना)	**(देवेश त्यागी)**	**(डॉ. ओंकार राय)**
निदेशक (वित्त)	वरिष्ठ निदेशक	महानिदेशक

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

अनुसूची 1: सामान्य निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सामान्य निधि		
शेष रकम आगे लायी गयी	7,376,431,209	7,389,809,615
जोड़िए: वर्ष के दौरान वृद्धि	13,632,891	(13,378,406)
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	–	–
कुल	**7,390,064,100**	**7,376,431,209**

अनुसूची 2: आरक्षित तथा आधिक्य

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरक्षित पूँजी		
शेष रकम आगे लायी गयी	136,318,566	136,318,566
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	–	–
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रयुक्त/ समायोजित	–	–
कुल	**136,318,566**	**136,318,566**

अनुसूची 3: सामान्य निधि

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सहायतार्थ अनुदान–अपना		
शेष रकम आगे लायी गयी	1,773,009,405	1,693,009,405
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	90,500,005	80,000,000
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	133,675,539	–
(क)	**1,729,833,871**	**1,773,009,405**
सहायतार्थ अनुदान–अन्य निकायों के लिए		
सहायतार्थ शेष रकम आयी गयी	60,000,000	60,000,000
जोड़िए: वर्ष के दौरान प्राप्त	57,500,000	–
घटाइए: वर्ष के दौरान प्रयुक्त/समायोजित	–	–
(ख)	**117,500,000**	**60,000,000**
कुल (क+ख)	**1,847,333,871**	**1,833,009,405**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

अनुसूची 4: अन्तर इकाई लेखा

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसटीपीआई–मुख्यालय	3,122,745,809	2,858,503,625
एसटीपीआई–भिलाई	(104,013,058)	(88,124,811)
एसटीपीआई–इन्दौर	(143,843,348)	(142,827,970)
एसटीपीआई–जयपुर	(54,568,777)	(20,488,137)
एसटीपीआई–जोधपुर	22,291,568	21,385,948
एसटीपीआई–मोहाली	(591,935,952)	(590,737,736)
एसटीपीआई–शिमला	7,641,082	8,510,393
एसटीपीआई–श्रीनगर	(159,019,572)	(102,129,319)
एसटीपीआई–जम्मू	3,987,912	3,857,369
एसटीपीआई–बैंगलुरू	(264,057,919)	(248,298,031)
एसटीपीआई–मैसूर	(147,924,599)	(40,728,428)
एसटीपीआई–मणिपाल	–	–
एसटीपीआई–हुबली	(2,710,850)	(4,444,867)
एसटीपीआई–मैंगलुरु	(25,150,517)	(18,603,884)
एसटीपीआई–हैदराबाद	(36,565,229)	(88,433,671)
एसटीपीआई–विशाखापत्तनम	(5,662,453)	(3,647,813)
एसटीपीआई–विजयवाड़ा	(281,930,059)	(215,888,628)
एसटीपीआई–वारंगल	1,868,589	253,734
एसटीपीआई–तिरूपति	4,480,656	1,975,244
एसटीपीआई–काकीनाडा	(926,182)	(3,087,411)
एसटीपीआई–नवी मुम्बई	57,202,191	51,099,836
एसटीपीआई–पुणे	13,897,112	35,415,266
एसटीपीआई–औरंगाबाद	(1,931,845)	471,019
एसटीपीआई–नागपुर	1,277,764	2,651,568
एसटीपीआई–कोल्हापुर	(7,545,916)	(8,010,514)
एसटीपीआई–नासिक	(1,449,669)	(1,320,076)
एसटीपीआई–नोएडा	(190,387,801)	(289,060,726)
एसटीपीआई–देहरादून	37,429,710	39,788,728
एसटीपीआई–लखनऊ	(18,269)	825,739
एसटीपीआई–कानपुर	(1,556,255)	(1,774,538)
एसटीपीआई–प्रयागराज	(106,500,967)	(83,986,106)
एसटीपीआई–चेन्नई	250,891,994	174,170,126
एसटीपीआई–कोयम्बटूर	1,737,312	876,988
एसटीपीआई–पुदुचेरी	(819,448)	(1,640,559)
एसटीपीआई–त्रिची	(483,484)	1,711,513
एसटीपीआई–तिरुनेलवेली	(75,733)	(33,762)

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
एसटीपीआई–मदुरै	(3,026,582)	(3,397,907)
एसटीपीआई–गंगटोक	3,150,790	1,569,503
एसटीपीआई–गुवाहाटी	(141,576,763)	(125,461,492)
एसटीपीआई–इम्फाल	8,457,698	8,311,587
एसटीपीआई–भुवनेश्वर	(271,773,307)	(313,295,697)
एसटीपीआई–दुर्गापुर	8,020,411	8,217,034
एसटीपीआई–कोलकाता	(183,772,995)	(135,216,255)
एसटीपीआई–राऊरकेला	7,399,675	8,105,978
एसटीपीआई–खड़गपुर	7,361,735	7,044,967
एसटीपीआई–रांची	(108,373,229)	(31,036,351)
एसटीपीआई–सिलीगुड़ी	8,595,661	8,568,030
एसटीपीआई–हल्दिया	8,468,744	8,411,839
एसटीपीआई–शिलौंग	(1,213,899)	(2,195,934)
एसटीपीआई–पटना	(64,763,433)	(66,943,791)
एसटीपीआई–भिवाड़ी	–	–
एसटीपीआई–तिरुवनंतपुरम	(153,088,080)	(79,183,123)
एसटीपीआई–गांधीनगर	(197,821,951)	(218,461,701)
शाखा पुनर्मिलान	–	–
एसटीपीआई–ब्रह्मपुर	(36,159,436)	(46,197,777)
एसटीपीआई–आइजोल	(7,510,695)	(7,774,665)
एसटीपीआई–अगरतला	(70,796,023)	(33,749,259)
एसटीपीआई–गुरुग्राम	(181,269,440)	(219,332,900)
एसटीपीआई–गोवा	(26,682,680)	(16,212,197)
कुल	–	–

अनुसूची 5 : ऋण निधि (राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आरक्षित ऋण		
बैंकों से नकद–उधार	–	–
वित्तीय संस्थानों से	–	–
आरक्षित ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज	–	–
(क)	–	–
अनारक्षित ऋण	–	–
भारत सरकार से	–	–
राज्य सरकारों से	50,000,000	50,000,000
अन्य संस्थानों और एजेंसियों से	7,000,000	7,000,000
अनारक्षित ऋण पर अर्जित तथा देय ब्याज	–	–
(ख)	**57,000,000**	**57,000,000**
कुल (क+ख)	**57,000,000**	**57,000,000**

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

अनुसूची 6: परिसम्पत्तियां, सयंत्र एवं मूल्यह्रास

(राशि ₹ में)

विवरण	सकल खण्ड					मूल्यह्रास				निवल खण्ड	
	01.04.2018 को	परिवर्धन: 180 या उससे अधिक दिनों के लिए	परिवर्धन: 180 से कम दिनों के लिए	कटौतियाँ/समायोजन	31.03.19 को	01.04.18 को	वर्ष के लिए	समायोजन/पूर्व अवधि मूल्यह्रास	31.03.19 को	31.03.19 को	31.03.18 को
मूर्त सम्पत्तियां											
भूमि											
मुक्तिधारिता	17,041,374	–	–	–	17,041,374	–	–	–	–	17,041,374	17,041,374
पट्टाधारित	3,085,652	–	13,066,667	–	16,152,319	478,473	173,050	–	651,523	15,500,796	2,607,179
भवन											
आवासीय	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
अन्य	1,663,111,478	72,273,839	378,524,074	71,553,850	2,042,355,541	841,208,334	150,191,192	7,173,560	984,225,966	1,058,129,575	821,903,143
अस्थायी निर्माण	8,870,303	–	15,201	–	8,885,504	6,645,136	785,777	–	7,430,913	1,454,591	2,225,167
फर्नीचर एवं फिक्सर	240,964,609	114,972,515	6,259,880	70,168,665	292,028,340	167,248,395	17,150,655	8,849,281	175,549,769	116,478,571	73,716,214
विद्युत फिटिंग	170,361,213	46,057,631	59,343,029	21,557,507	254,204,366	73,890,903	31,681,417	2,007,117	103,565,203	150,639,163	96,470,310
एचएसडीसी उपस्कर	686,300,380	29,618,732	4,787,354	69,865,214	650,841,252	640,136,556	19,785,373	50,297,311	610,111,186	40,730,066	46,163,824
विद्युत उपस्कर	571,309,519	31,488,163	114,676,465	19,357,157	698,140,590	312,732,787	65,156,715	3,837,014	374,064,288	324,076,302	258,576,732
कार्यालय उपस्कर	173,782,026	10,307,142	11,526,338	3,332,487	192,259,419	125,379,942	13,098,804	1,521,963	137,009,352	55,250,066	48,402,084
वाहन											
कार	2,557,158	–	3,885,679	–	6,442,837	756,310	617,849	–	1,374,160	5,068,677	1,800,848
अन्य	1,550	–	–	1,550	–	1,550	–	1,550	–	–	–
कम्प्यूटर एवं उपांत उपस्कर	153,777,720	5,406,306	7,977,616	7,465,277	159,696,365	126,777,795	13,730,157	6,782,339	133,733,053	25,963,312	26,999,924
अग्निशमन उपस्कर	40,791,820	1,362,768	11,619,624	1,704,202	52,070,010	17,207,171	5,709,550	197,759	22,721,452	29,348,558	23,584,649
अमूर्त सम्पत्तियां	51,694,745	–	406,520	–	52,101,265	44,611,316	4,834,720	–	49,446,035	2,655,230	7,083,429
संयंत्र व उपकरण	126,769,323	–	–	67,532,388	59,236,935	10,627,785	17,771,081	5,313,892	23,084,974	36,151,961	116,141,538
वर्तमान वर्ष का कुल	3,910,418,870	311,487,096	612,088,447	332,538,297	4,501,456,116	2,367,702,454	340,686,340	85,981,786	2,622,967,874	1,878,488,242	1,542,716,415
पिछले वर्ष का कुल	3,951,654,586	552,505,662	162,738,235	756,479,612	3,910,418,870	2,616,362,604	284,415,599	533,075,748	2,367,702,455	1,542,716,415	1,335,291,982

31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र

अनुसूची 7 : कार्यशील पूंजी प्रगति पर

(राशि ₹ में)

विवरण	प्रारंभिक शेष 01.04.2018 को	परिवर्धन	पूँजीगत/ समायोजन	अंत शेष 31.03.2019 को
मूर्त संपत्ति				
भूमिः				
मुक्तधारिता	–	–	–	–
पट्टाधारिता	4,016,667	8,676	4,016,667	8,676
भवन				
आवासीय	–	–	–	–
अन्य	1,074,998,001	378,195,985	41,313,720	1,411,880,266
अस्थायी निर्माण	–	–	–	–
फर्नीचर एवं फिक्सर	–	–	–	–
बिजली फिटिंग्स	20,236,107	–	20,236,107	–
एचएसडीसी उपस्कर	–	835,000	–	835,000
विद्युत उपस्कर	–	–	–	–
कार्यालय उपस्कर	–	–	–	–
कम्प्यूटर तथा उपांत उपस्कर	18,210,415	–	–	18,210,415
अग्निशमन उपस्कर	–	–	–	–
अमूर्त सम्पत्तियां	–	–	–	–
मुद्रा परिवर्तन दर में अन्तर	–	–	–	–
संयत्र व उपकरण	–	–	–	–
कुल (क)	**1,117,461,190**	**379,039,661**	**65,566,494**	**1,430,934,357**
निर्माण के दौरान आकस्मिक व्यय	2,871,013	1,070,063	1,210,838	2,730,238
चालू वर्ष का कुल	**1,120,332,203**	**380,109,724**	**66,777,332**	**1,433,664,595**
पिछला वर्ष	**988,394,483**	**481,548,536**	**349,610,816**	**1,120,332,203**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का भाग हैं

अनुसूची 8: पूँजीनिवेश

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
संयुक्त उद्यम में पूँजी निवेश	24,440,000	24,440,000
सहायक कम्पनियों में पूँजीनिवेश	–	–
भारत सरकार के प्रतिभूतियों में पूँजीनिवेश	–	–
बाण्ड में पूँजीनिवेश	–	–
अन्य में पूँजीनिवेश	23,604,166	22,548,502
कुल	**48,044,166**	**46,988,502**

अनुसूची 9: मालसूची

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भंडार एवं पुर्जे	–	–
एसटीपीआई प्रकाशन/पुस्तकें	–	–
हाथ में सामग्री(पीएमसी)	–	1,252,678
कुल	–	**1,252,678**

अनुसूची 10: विविध देनदार

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बकाया राशि 6 महीने से ज्यादा	169,499,796	192,632,624
अन्य बकाया राशि	131,778,998	98,930,461
	301,278,794	**291,563,085**
घटाए: संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	(130,481,790)	(144,741,750)
कुल	**170,797,004**	**146,821,334**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का भाग हैं

अनुसूची 11: नकद व बैंक में जमा राशि

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
उपलब्ध नकद राशि	1,464	443
फूड वाउचर	1,144	2,744
(क)	**2,608**	**3,187**
अनुसूचित बैंकों के पास शेष रकम		
अनुसूचित बैंक के चालू खाते में	–	–
अनुसूचित बैंक के बचत खाते में	668,445,600	605,156,307
अनुसूचित बैंक के ईईएफसी खाता में		
अनुसूचित बैंक के जमा खाता में	1,509,362,430	1,519,025,138
हाथ में/पारगमन चेक/डीडी	3,449,424	26,273,751
जमा रकम पर अर्जित ब्याज पर अभी देय नहीं	138,275,546	127,387,070
(ख)	**2,319,533,000**	**2,277,842,266**
अन्य नकद और बैंक में जमा राशि		
सावधि जमा 3 महीने से अधिक	2,334,404,357	2,709,018,066
ग्रहणाधिकार के तहत सावधि जमा	64,636,313	60,964,885
(ग)	**2,399,040,670**	**2,769,982,951**
कुल(ख+ग)	**4,718,573,670**	**5,047,825,217**
कुल (क+ख+ग)	**4,718,576,278**	**5,047,828,404**

अनुसूची 12: ऋण तथा पेशगियाँ

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
ऋण (असुरक्षित पर वसूली योग्य समझे गए):		
कर्मचारीगत	7,278,543	6,614,030
सहायक कंपनियां	–	
अन्य	–	
(क)	**7,278,543**	**6,614,030**
पेशगियां		
पूर्तिकर्ता एवं ठेकेदारों को	1,602,292,801	1,704,423,664
कर्मचारीगत (ब्याज सहित)	1,312,690	896,040
वसूली योग्य दावे	109,801,066	95,645,310
अन्य	685,264,931	430,353,041
(ख)	**2,398,671,488**	**2,231,318,055**
पूर्व अदायगी व्यय	2,756,020	3,993,038
प्रतिभूति/जमा अग्रिम धन	110,733,970	106,616,444
अग्रिम आयकर	2,563,779,952	2,425,763,598
(ग)	**2,677,269,942**	**2,536,373,080**
कुल (क+ख+ग)	**5,083,219,973**	**4,774,305,165**
घटाइए: संदेहात्मक ऋण तथा पेशगियों के लिए (घ)	109,435,541	110,140,956
कुल (क+ख+ग–घ)	**4,973,784,432**	**4,664,164,208**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो तुलनपत्र का भाग हैं

अनुसूची 13: चालू देयताएं

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
विविध लेनदार :		
(क) सेवाओं के लिए	66,160,405	88,248,463
(ख) सप्लाई के लिए	34,985,193	34,100,408
(ग) अन्य खर्चों के लिए	33,272,616	35,611,189
	134,418,214	**157,960,060**
ठेकेदारों तथा अन्य से प्राप्त जमानत,प्रतिधारण राशि	379,660,987	272,412,095
ग्राहकों से प्राप्त पेशगी :		
(क) सेवाओं तथा अन्यों के लिए	249,463,257	114,695,073
(ख) परियोजना के लिए	194,756,424	7,359,873
	444,219,681	**122,054,946**
अन्य देयताएं	924,116,738	795,887,459
परियोजना के लिए पेशगी	157,328,677	82,021,922
कुल	**2,039,744,297**	**1,430,336,482**

अनुसूची 14: प्रावधान

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय कर	1,491,100,000	1,491,100,000
कर्मचारियों के लिए लाभ	495,981,771	469,012,739
प्रावधान : अन्य	33,144,138	28,625,505
कुल	**2,020,225,909**	**1,988,738,244**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो आय व्यय लेखा का भाग हैं

अनुसूची 15: प्रचालन आय

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सॉफ्ट प्वाइंट	—	—
सॉफ्ट लिंक	219,933,893	198,863,674
सैटेलाइट गेटवे सेवाएं	—	14,708,224
सांविधिक प्रभार	1,016,230,544	957,863,655
परियोजना प्रबंधन तथा परामर्श सेवाएं	75,650,406	49,918,965
इंक्यूबेशन से आय	248,661,242	190,484,559
अन्य सेवाएं	69,883,447	63,901,732
इंटरनेट टेलीफोनी सेवाएं	—	—
कुल	**1,630,359,532**	**1,475,740,809**

अनुसूची 16: ब्याज आय

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
बैंकों के पास जमा राशि से	268,595,655	270,612,854
बैंकों के पास बचत खाते से	12,773,161	12,871,067
भारत सरकार की प्रतिभूति में निवेश से	—	—
बान्ड में निवेश से	—	—
कर्मचारियों को ऋण देने से	161,842	308,380
अन्यों से	1,503,066	1,253,474
कुल	**283,033,724**	**285,045,775**

अनुसूची 17: अन्य आय

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
सहायतार्थ अनुदान एवं आर्थिक सहायता	—	—
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से लाभ	250,889	82,240
प्रतिलेखित पेशगियों के लिए प्रावधान	—	1,960,497
विविध देनदारों के प्रतिलेखन के लिए प्रावधान	5,459,123	13,809,937
विविध प्रतिलेखित बकाया ऋण	10,762,515	23,991,348
स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान से लाभ	552,239	780,594
निवेश की बिक्री/मोचन से लाभ	—	—
संयुक्त उद्यम से लाभांश	16,430,400	2,282,000
सहायक कंपनियों से लाभांश	—	—
अन्य से लाभांश	—	—
अन्य विविध आय	11,145,465	12,685,418
कुल	**44,600,631**	**55,592,035**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो आय व्यय लेखा का भाग हैं

अनुसूची 18: कर्मचारियों की परिश्रमिकी तथा लाभ

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	765,265,702	688,628,634
भविष्य तथा अन्य निधियों में अंशदान	60,992,070	46,601,707
ग्रेच्युटी निधि में अंशदान	(16,774,201)	34,517,438
कर्मगारों तथा कर्मचारियों के लिए कल्याणार्थ	22,696,043	20,080,244
कुल	**832,179,614**	**789,828,022**

अनुसूची 19: बिक्री, प्रशासनिक और अन्य व्यय

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
स्टोर एवं पुर्जों की खपत	1,748,653	3,702,366
किराया	157,145,512	145,495,034
दर एवं कर	38,650,863	46,717,312
प्रशिक्षण एवं भर्ती	2,400,994	3,842,467
बीमा	1,380,781	1,162,369
मरम्मत एवं अनुरक्षण – भवन	59,871,313	57,901,570
मरम्मत एवं अनुरक्षण – अर्थ स्टेशन	4,457,469	3,665,769
मरम्मत एवं अनुरक्षण – अन्य	20,843,866	23,529,524
संचार व्यय	9,242,317	10,255,729
यात्रा एवं वाहन व्यय	21,077,917	24,820,807
वाहन चालन एवं किराया प्रभार	22,272,926	23,754,240
सांविधिक लेखा परीक्षकों की अदायगी	650,000	650,000
विज्ञापन तथा प्रचार व्यय	27,950,063	27,059,354
सुरक्षा व्यय	77,157,080	69,689,284
व्यवसाय संवर्धन	3,047,288	26,628,208
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5,424,903	5,819,541
अखबार पुस्तकें एवं पत्र–पत्रिकाएं	517,294	517,384
बैंक प्रभार	1,428,522	932,758
बिजली,ईधन एवं पानी प्रभार	156,779,257	143,577,016
कंप्यूटर किराया तथा परिचालन व्यय	3,319,714	1,920,921
विधिक शुल्क	208,850	1,179,460
व्यावसायिक एवं परामर्श प्रभार	12,970,549	9,398,314
दान	–	–
विदेशी मुद्रा के उतार–चढ़ाव से हानि	2,914,666	683,595
अचल सम्पति की बिक्री/परित्याग से घाटा	1,481	313,274
निवेश की बिक्री/मोचन से घाटा	–	–
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	8,396,693	8,293,500
संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	–	–
अप्रचलित स्टॉक के लिए प्रावधान	–	–
बट्टे खाते डाले गए अप्राप्य ऋण	766,033	3,207,254
अन्य व्यय	12,537,723	12,069,378
कुल	**653,162,727**	**656,786,428**

31 मार्च, 2019 को समाप्त अनुसूचियाँ जो आय व्यय लेखा का भाग हैं

अनुसूची 20: ब्याज एवं वित्त प्रभार

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
भारत सरकार से प्राप्त ऋण पर ब्याज	–	–
बैंकों से लिए गए ऋण पर ब्याज	–	–
वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण पर ब्याज	–	–
विदेशी करेंसी ऋण पर ब्याज	–	–
भारतीय मुद्रा में ऋण पर किया गया खर्च	–	–
विदेशी मुद्रा में ऋण पर किया गया खर्च	–	–
अन्य पर ब्याज	7,755,559	2,429,136
कुल	**7,755,559**	**2,429,136**

अनुसूची 21: पूर्व अवधि समायोजन

(राशि ₹ में)

विवरण	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
पूर्व अवधि व्यय		
डाटा लिंक प्रभार	526,116	229,563
परियोजना व्यय	282,891	4,510,897
कर्मचारियों की परिश्रमिकी पर व्यय	–	(37,899)
मूल्यह्रास	273,948	260,471
संचार व्यय	–	–
यात्रा एवं परिवहन	34,510	89,477
जल एवं विद्युत	26,621	70,479
सेवाएं	–	–
ब्याज	–	–
अन्य	5,441,259	7,977,500
	6,585,345	**13,100,488**
पूर्व अवधि आय		
सेवाएं	(1,414,418)	(6,182,635)
ब्याज	(6,157)	925,536
अन्य	(21,491,384)	209,928
	(22,911,959)	**(5,047,171)**
कुल	**16,326,614**	**(8,053,317)**

अनुसूची–22

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखाओं का भाग है।

1. लेखांकन परिपाटियाँ

क. लेखा ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतो के अनुसार लेखांकन के अर्जन के आधार पर तैयार किए गए हैं।

ख. लेखांकन नीतियाँ जिनका विशेष रूप से किसी स्थान पर अन्यत्र उल्लेख नहीं किया गया है, संगतपूर्ण हैं तथा सामान्य रूप से स्वीकृत भारतीय लेखांकन पद्धतियों/सिद्धांतों के अनुरूप हैं, जिसमे अनिवार्य लेखांकन मानकों सहित सिद्धांतों, मार्गदर्शी, टिप्पणियों तथा आईसीएआई द्वारा जारी अन्य घोषणाएं शामिल है।

ग. समग्र प्रभाव के मूर्त न होने के कारण उपभोज्य भंडार सामग्री को व्यय शीर्ष में प्रभारित किया जाता है, चाहे वर्ष तक उनका उपभोग कर लिया गया हो अथवा उन्हें भंडार में ही रखा गया हो।

घ. उपभोक्ताओं के स्थलों पर प्रतिष्ठापित रेडियो मास्ट की लागत को उपभोज्य मद होने के कारण व्यय शीर्ष में प्रभारित किया जाता है और इसे ग्राहकों से वसूल किया जाता है और तदनुसार इसे सॉफ्टपॉइंट /सॉफ्टलिंक आय में दर्ज किया गया है।

ङ. 5000/– रुपये से कम राशि के पूर्व अवधि व्यय और आय को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित लेखा शीर्ष में सीधा नामे खाते में डाला/जमा किया जाता है।

2. अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरणियाँ तैयार करते समय अनुमानों और पूर्वानुमानों की जरूरत होती है जिनका प्रभाव उस अवधि के आय तथा व्यय की बताई गई राशि, परिसम्पतियों तथा देयताओं के लिए दर्शाई गई राशि तथा आज की स्थिति के अनुसार वित्तीय विवरणियों की आकस्मिक देयताओं पर पड़ता है। वास्तविक परिणामों तथा अनुमानों के बीच के अंतर को उस अवधि का माना जाता है जिस अवधि में परिणाम का पता लगता है/पूरा हो जाता है।

3. मूल्यह्रास

क. संयोजन वर्ष में 5000/– रुपये तथा उससे कम की परिसम्पतियों का शत–प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास किया जाता है।

ख. नीचे दी गयी विनिर्धारित दरों के आधार पर सरल रेखापद्धति के अनुसार अन्य परिसम्पतियों का मूल्यह्रास किया जाता है।

1.	भवन	10 प्रतिशत
2.	कम्प्यूटर तथा उपांत उपस्कर	25 प्रतिशत
3.	विद्युत स्थापन	15 प्रतिशत
4.	फर्नीचर तथा फिक्सचर	10 प्रतिशत
5.	कार्यालय उपस्कर	15 प्रतिशत
6.	एचएसडीसी उपस्कर	20 प्रतिशत

7.	टावर तथा मास्ट	20 प्रतिशत
8.	मोबाईल फोन	25 प्रतिशत
9.	वाहन	20 प्रतिशत
10.	प्लांट व मशीनरी	30 प्रतिशत

ग. अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित लाभप्रद अवधि के आधार पर परिशोधन किया जाता है। तेजी से होने वाले प्रौद्योगिकी परिवर्तनों और अप्रचलन की तेज दर के कारण सॉफ्टवेयर व्ययों को उद्भूत वर्ष का ही माना जाता है।

4. राजस्व मान्यता

क. वार्षिक सेवा शुल्क वर्ष के आरंभ में अस्थायी रूप से यूनिट के पिछले वर्ष के अनुमानित/वास्तविक निर्यात कारोबार के उच्च स्तर पर लगाया जाता है। वास्तविक आंकड़े प्राप्त होने पर शुल्क में अंतर/परिवर्तन दर्ज किया जाता है।

ख. स्थान तथा मूलभूत सुविधाएँ मुहैया कराने के लिए मासिक आधार पर शुल्क लगाया जाता है।

ग. डीबोन्डिग अथवा शिथिल ईकाइयों के मामलों में न्यूनतम शुल्क लगाया जाता है और इसे पंजीकरण के समय प्राप्त पेशगी जमा में से समायोजित किया जाता है। इसके बाद शेष पेशगी रकम को न्यूनतम शुल्क से कम होने पर अन्य आय के रूप में माना जाता है।

5. परिसंपत्ति संयंत्र और उपस्कर

क) परिसंपत्ति संयंत्र और उपस्कर की लगत में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

(i) इसका खरीद मूल्य,जिसमे आयात शुल्क सहित व्यापार में छूट और रियायत के बाद गैर वापसी योग्य क्रय शुल्क शामिल है।

(ii) संपत्ति को उसके स्थान पर सीधे लाने के लिए देय किसी प्रकार का लागत और इसे प्रबंधन की आवश्यकता के अनुसार परिचालन योग्य बनाने की आवश्यक शर्तें।

ख) प्रचालन पूर्व खर्च को पूंजी में परिणत किया जाता है तथा अभिचालित होने पर विभिन्न परिसम्पत्तियों में संविभाजित किया जाता है।

6. विदेशी मुद्रा का लेन देन

विदेशी मुद्रा के लेन देन बैंक द्वारा निर्दिष्ट औसत दरों पर लेन–देन की अवधि के दौरान दर्ज किए गए हैं। लेखा वर्ष की समाप्ति पर असमायोजित शेष मौजूदा परिसंपत्तियों और देनदारियों का पुनर्मूल्यांकन वर्ष की समाप्ति पर उनके मूल्य दर पर किया जाता है और विनिमय में अंतर को यथास्थिति के अनुरूप उस वर्ष के आय अथवा व्यय माना जाता है।

7. अनुदान

पूंजीगत व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को तब तक देयता के रूप में दर्शाया जाता है जब तक कि अचल संपत्ति निर्मित अथवा सृजत नहीं कर ली जाती है । इस अनुदान से अचल संपत्ति के निर्माण/सृजन के बाद देयता निर्मित/सृजत संपत्ति के मूल्य के बराबर कम हो जाएगी और उपयोग की गयी राशि सम्बद्ध अचल संपत्ति की लागत से कम कर दी जाएगी ।

8. निवेश का लेखांकन

दीर्घावधि निवेश को लागत के आधार पर दर्शाया जाता है। अगर गिरावट अस्थायी नहीं है, तो मूल्यह्रास का प्रावधान लेखांकन मानक–13 'निवेश के लिए लेखांकन' के अनुसार किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

कर्मचारियों के लाभ से संबंधित व्यय तथा देयताओं को संशोधित लेखांकन मानक–15 आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी लाभ (संशोधित 2005) के अनुसार अंकित किया जाता है।

क) भविष्य निधि

कर्मचारी के भविष्य निधि/अंशदायी भविष्य निधि में नियोक्ता के अंशदान को वास्तविक आधार पर खाता में डाला जाता है तथा इसे आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया जाता है।

ख) ग्रेच्यूटी (उपदान)

ग्रेच्यूटी सेवा उपरांत एक निश्चित लाभ योजना है। ग्रेच्यूटी के लिए तुलन–पत्र में भावी देयता अमान्य बिमांकिक लाभ अथवा हानि तथा पिछली सेवा लागत का समायोजन सहित योजनागत परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटा कर तुलन–पत्र की तारीख में विनिर्धारित लाभ/देयता का वर्तमान मूल्य है। अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए जीवन बीमा निगम द्वारा निश्चित लाभ/देयता की गणना तुलन–पत्र की तारीख अथवा इसके आस–पास के आधार पर किया जाता है।

पिछले अनुभव तथा बिमांकिक लाभ के परिवर्तन से हुई लाभ तथा हानि को जिस वर्ष की लाभ तथा हानि लेखा से संबंधित है, के आय तथा व्यय लेखा में प्रभारित अथवा जमा किया जाता है।

ग. छुट्टी का नगदीकरण

तुलन–पत्र की तारीख के बाद देय अथवा देय योग्य छुट्टी के नगदीकरण का अनुमान देयता के बारे में अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल करते हुए एक स्वतंत्र बिमांकिक द्वारा बिमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

घ) अन्य अल्पकालीन लाभ

अन्य अल्पकालीन लाभों के व्यय को कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं के दौरान अदायगी योग्य अवधि के लिए अथवा अदा की गई रकम के आधार पर खाते में दर्ज किया जाता है।

10. पट्टाधारिता

परिसम्पत्ति का पट्टा, जिसके अंतर्गत स्वामित्व का सभी लाभ तथा जोखिम पट्टाकार के पास रहता है,को परिचालन पट्टा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। प्रचालन पट्टा को प्रभार करारनामे की शर्तों के अनुसार,जो सोसायटी के लाभ की समय पद्धति का सूचक है, आय तथा व्यय लेखा में व्यय के रूप में दर्ज किया जाता है।

11. आय पर कर

क) वर्तमान कर का प्रावधान आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है।

ख) भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक एएस–22 'आय पर कर के लिए लेखांकन' के अनुसार लाभ तथा आय कर लाभ के बीच की अवधि से उत्पन्न आस्थगित कर देयता/परिसंपत्ति को खाते में उस समय के लिए लागू कर की दर के अनुसार बाद के वर्षों में तय किया जाता है। तथापि वसूली की पर्याप्त/वास्तविक निश्चिंतता होने पर ही आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है ।

12. अमूर्त परिसंपत्तियाँ

एएस– 26 'अमूर्त परिसंपत्तियाँ' में दिए गए सिद्धांतों के अनुसार पहचान योग्य गैर–मुद्रा संबंधी परिसंपत्ति के क्रय एवं विकास पर किए गए पूँजीगत व्यय को बिना किसी वास्तविक आधार पर सॉफ्टवेयर व्यय को छोड़कर, को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में माना जाता है। इन्हें वर्गीकृत किया जाता है तथा इन्हें स्थायी परिसंपत्तियों की अनुसूची में अलग से दर्शाया जाता है। इनकी अनुमानित कार्यकारी स्थिति तक इन्हें परिशोधित किया जाता है।

13. परिसंपत्तियों की हानि

प्रबंधक–वर्ग समय–समय पर बाहरी एवं आन्तरिक स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए, परिसंपत्तियों की हानि का आंकलन करता है। परिसंपत्ति के निरंतर इस्तेमाल और अंततः इसके निपटान के फलस्वरूप भविष्य में होने वाले लेन–देन में दर्ज मूल्य के वर्तमान मूल्य से अधिक होने पर हानि होती है। हानि पर होने वाले व्यय का निर्धारण परिसंपत्ति के निवल बिक्री मूल्य अथवा यथा निर्धारित वर्तमान मूल्य के अंकित मूल्य से आधिक्य के आधार किया जाता है। तुलन–पत्र की तारीख को ऐसा कोई संकेत होने पर कि आकलित हानि अब नहीं है, तो वसूली योग्य राशि का पुनः आकलन करके परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि को लागत के अधिकतम मूल्यह्रास के अंतर्गत दर्शाया जाता है।

14. प्रावधान तथा आकस्मिक खर्च

ऐसे किसी पिछले आयोजन, जहां वास्तविक अनुमान लगाया जा सकता है, के फलस्वरूप अनिश्चित अवधि अथवा राशि के वर्तमान दायित्वों के लिए प्रावधान किया जाता है तथा संभवतः आर्थिक लाभ के लिए स्रोतो की निकासी अपेक्षित होने अथवा राशि का आकलन विश्वसनीय रूप से नहीं कर पाने पर यदि स्रोतो की निकासी से आर्थिक लाभ की संभावना कम नहीं है, तो इस दायित्व को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाया जाता है।

संभावित दायित्वों, जिनके मौजूद होने की पुष्टि किसी एक अथवा अधिक अनिश्चित आयोजन के होने अथवा नहीं होने से ही की जाएगी, को भी स्रोतो की निकासी से आर्थिक लाभ की संभावना कम नहीं होने पर आकस्मिक देयताओ के रूप में दर्शाया जाता है।

15. नगदी व समरूप नगदी

नगदी और समरूप नगदी में बैंक और हाथ में नगदी तथा तीन माह या इससे कम अवधि के अल्पावधि निवेश शामिल है ।

अनुसूची–22क

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां, जो लेखाओं का भाग है।

1. विविध देनदारों, विविध लेनदारों तथा संस्था द्वारा दिए गए और लिए गए ऋण और अग्रिम की शेष राशि, संबंधित पार्टियों से पुष्टि और लेखाओं के मिलान के अध्यधीन हैं। इस तरह के मिलान से होने वाले समायोजन, यदि कोई हो, से कोई खास वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

2. सोसाइटी के विचार से सभी ज्ञात देयताओं का लेखाओं में पर्याप्त प्रावधान किया गया है तथा चालू परिसंपत्तियों, ऋण तथा पेशागियों को तुलन–पत्र में उल्लिखित कम से कम मूल्य के बराबर सामान्य कारोबार के दौरान वसूली की जा सकती है।

3. (क) सीमा शुल्क विभाग के पास ₹ 61,89,122/– मूल्य की (पिछले वर्ष ₹ 61,89,122/–) स्थायी परिसंपत्तियाँ बंधक है।

   (ख) स्थायी परिसंपत्तियों में वे उपस्कर भी शामिल हैं जो पुराने हो गए हैं और 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार उपयोग में नहीं आ रहे थे। इन उपस्करों की मूल लागत और बट्टे खाते में उनका मूल्य दिनांक 31.03.2019 को क्रमश ₹ 33,76,34,114/– (गत वर्ष ₹ 45,64,74,054/– तथा शून्य रुपये (गत वर्ष ₹ 73,684/–) था।

4. जारी की गई बैंक प्रतिभूति के लिए ₹ 6,46,36,313/– की सावधि जमा (गत वर्ष ₹ 6,09,64,885/–) बैंक के पास ग्रहणाधिकार में है।

5. (क) हैदराबाद स्थित इन्क्यूबेशन सेंटर बिल्डिंग, जिसे पूंजीकृत किया गया/इस्तेमाल योग्य बनाया गया /विकासकर्ता को समानुपात शेयर वर्ष 2009–10 के दौरान हस्तांतरित कर दिया गया था, को वर्ष 2010–11 के दौरान खातों में दर्ज कर दिया गया है। भूमि का 61 प्रतिशत अंश जिसका मूल्य ₹ 78,29,533/– है, जोकि विकासकर्ता के अंश का भाग है, विधिक औपचारिकता का मामला लंबित होने के कारण अभी तक विकासकर्ता को नहीं दिया गया है। मध्यस्थ द्वारा निर्णय एसटीपीआई के पक्ष में दिया गया है। लेकिन विकासकर्ता ने अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद में अपील दायर की है और मामला सिटी सिविल कोर्ट में विचाराधीन है।

   (ख) एसटीपीआई ने ईआरपी के कार्यान्वयन के लिए अनुबंध प्रदान किया था। लेकिन कार्यान्वयन में देरी और समझौते के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं होने के कारण, एसटीपीआई ने अनुबंध समाप्त कर दिया है और वसूली के लिए दावा किया है। चुंकि मध्यस्थता की कार्यवाही चल रही है अतः ₹ 1,82,10,415/– का प्रावधान कार्य प्रगति पर दर्शाते हुए किया गया है।

   (ग) एसटीपीआई ने एसटीपीआई के कंप्यूटरीकरण का अनुबंध प्रदान किया था। किन्तु सिस्टम इंटेग्रेटर अनुबंध दायित्वों के निर्वहन में असफल रहा और इसलिए ₹ 1,70,84,658/– की राशि का पीबीजी जब्त कर लिया गया और उसे वर्तमान दायित्वों के रूप में दिखाया गया है।

6. ₹ 4,21,45,016/– के लेखाओं के कथित दुर्विनियोग/गबन रकम के बारे में दायर दिवानी/आपराधिक मामला अभी भी निर्णय के लिए सक्षम न्यायालय में लंबित है। फिर भी इस रकम के लिए प्रावधान कर दिया गया है।

7. दूरसंचार विभाग ने बेतार आयोजना समन्वय (डब्ल्यूपीसी) के बेतार दूर संचार लाइसेंस शुल्क की मद में 31 दिसम्बर, 2004 तक के लिए ₹ 6,30,20,500/— की माँग की है। एसटीपीआई ने केन्द्रों में वास्तविकं इस्तेमाल के अनुसार तैयार की गई राशि के आधार पर खाते में ₹ 5,60,97,607/— का व्यय दर्ज किया है। दूरसंचार विभाग के साथ इस बारे में लेखाओं का मिलान किया जा रहा है तथा समायोजन (यदि कोई हो) के लिए लेखाओं के मिलान पश्चात् प्रावधान किए जाएंगे। 01.01.05 से 31.03.2019 की अवधि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया।

8. **वित्त वर्ष में लेखापरीक्षक को दिया गया/देय पारिश्रमिकी**

(राशि ₹ में)

विवरण	2018—19	2017—18
सांविधिक लेखा परीक्षक को भुगतान	2,68,750/—	2,68,750/—
शाखा लेखा परीक्षक को भुगतान	3,81,250/—	3,81,250/—

9. (क) **वर्तमान कर:** सोसाइटी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12 क के तहत पंजीकृत है और इसने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के तहत छूट का दावा किया है। निर्धारण वर्ष 2006—07, 2007—08 और 2008—09 के लिए आयकर अपीलीय अधिकरण, दिल्ली के हाल के आदेशों में, आयकर अपीलीय अधिकरण ने भी आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11 के तहत एसटीपीआई की छूट के दावे को स्वीकार किया है। इसके अतिरिक्त माननीय दिल्ली उच्च न्यालायाय ने भी अपने आदेश दिनांक 30 जुलाई, 2019 द्वारा उस अवधि की उस स्थिति को स्वीकार किया है और आयकर अपीलीय अधिकरण के आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा दायर अपील को स्वीकार नहीं किया है। तदनुसार सोसाइटी ने वित्त वर्ष 2014—15 से कोई प्रावधान नहीं किया है ।

(ख) **आस्थगित परिसंपत्तियाँ/देयताएं**

पैरा 9 (क) के अनुसार सोसाइटी को टैक्स में छूट होने के कारण आस्थागित कर नहीं दर्शाया गया है क्योकि सोसाइटी नहीं मानती है कि चालू वर्ष की छूट भविष्य में बदल सकती है। विगत वर्षो की कर देयताओं को समान मूल्य पर आगे ले जाया गया है और उचित समय में इसे बटटे खाते में डाला जाएगा।

(राशि ₹ में)

विवरण	01—04—2018 के अनुसार शेष	31—03—2019 के अनुसार शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तिया		
मूल्यह्रास	7,87,42,502	7,87,42,502
संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	9,46,76,217	9,46,76,217
छुट्टी नगदीकरण	3,20,96,573	3,20,96,573
ग्रेच्यूटी	3,36,57,399	3,36,57,399
धारा 40 (क) के अनुसार अस्वीकृत	1,17,449	1,17,449
धारा 43 'ख' के अनुसार अस्वीकृत	84,152	84,152
निवल आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ	**23,93,74,292**	**23,93,74,292**

10. लेखांकन मानक–15 'कर्मचारियों को लाभ'

संस्था ने 'कर्मचारियों को लाभ' संशोधित लेखांकन मानक–15 स्वीकार किया है।

सुनिश्चित अंशदान योजना

वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मानी गई सुनिश्चित अंशदान योजना में अंशदान नीचे दिए अनुसार हैः

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान ₹ 4,80,89,667/–(पिछला वर्ष ₹ 4,34,80,623/–)

सुनिश्चित लाभ योजना

कर्मचारियों की ग्रेच्यूटी निधि योजना एक सुनिश्चित लाभ योजना है। देयताओं के वर्तमान मूल्य को अनुमानित इकाई जमा प्रणाली का प्रयोग करके बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमे यह माना जाता है कि प्रत्येक सेवा अवधि से कर्मचारी की लाभ पात्रता में एक अतिरिक्त इकाई की वृद्धि होती है और देयताओं का अंतिम रूप से निर्धारण करते समय ऐसी प्रत्येक इकाई की अलग–अलग गणना की जाती है। छुट्टी नगदीकरण की देयताओं के लिए भी ग्रेच्यूटी की ही पद्धति अपनाई जाती है।

ग्रेच्यूटी

1. सुनिश्चित लाभ योजना देयताओं के आरंभिक और इतिशेष का मिलान

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वर्ष के आरम्भ में सुनिश्चित लाभ दायित्व	24,34,45,506	20,08,89,466	13,69,16,198	12,40,10,020	9,90,21,473
वर्तमान सेवा लागत	1,83,28,025	1,91,46,701	1,67,45,643	1,18,93,629	1,15,99,446
ब्याज लागत	1,87,69,649	1,51,47,066	1,03,23,481	99,20,802	79,21,718
बीमांकिक (लाभ)/हानि	(3,98,59,122)	(75,66,495)	3,69,04,144	(61,16,161)	1,01,83,602
अदा किया लाभ	(19,03,576)	(7,14,755)	–	(27,92,092)	(47,16,219)
विगत सेवा लागत	–	1,65,43,523	–	–	–
वर्ष के अंत में सुनिश्चित लाभ दायित्व	**23,87,80,482**	**24,34,45,506**	**20,08,89,466**	**13,69,16,198**	**12,40,10,020**

2. योजना परिसम्पत्तियों के वास्तविक मूल्य के आरंभिक और इतिशेष का मिलान

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य वर्ष के आरम्भ में योजना	13,00,86,141	11,09,76,830	9,78,77,487	9,30,41,194	6,40,80,992
अनुमानित लाभ	98,21,504	83,78,751	73,89,750	76,28,385	62,22,868
बीमांकिक लाभ /(हानि)	45,18,688	11,73,657	12,09,657	–	–
नियोक्ता द्वारा अंशदान	7,01,69,890	1,02,71,658	44,99,936	–	2,74,53,553
अदा किये गये फायदे	(19,03,576)	(7,14,755)	–	(27,92,092)	(47,16,219)
अदायगी लागत	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में योजना	**21,26,92,647**	**13,00,86,141**	**11,09,76,830**	**9,78,77,487**	**9,30,41,194**
परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य					
योजना सम्पत्तियों का वास्तविक लाभ	**1,43,40,192**	**95,52,408**	**73,89,750**	**76,28,385**	**62,22,868**

3 तुलन–पत्र में मान्य धनराशि का पुनर्मिलान

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वित्तीय वर्ष के अंत में योजना परिसम्पत्तियों का वास्तविक मूल्य	21,26,92,647	13,00,86,141	11,09,76,830	9,78,77,487	9,30,41,194
वित्तीय वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान वास्तविक मूल्य	23,87,80,482	24,34,45,506	20,08,89,466	13,69,16,198	12,40,10,020
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पत्ति / (देयताएँ)	**(2,60,87,835)**	**(11,33,59,365)**	**(8,99,12,636)**	**(3,90,38,711)**	**(3,09,68,826)**

4. वर्ष के दौरान स्वीकृत व्यय (कर्मचारियों की पारिश्रमिकी और लाभ शीर्ष के तहत)

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वर्तमान सेवा लागत	1,83,28,025	1,91,46,701	1,67,45,643	1,18,93,629	1,15,99,446
ब्याज लागत	1,87,69,649	1,51,47,066	1,03,23,481	99,20,802	79,21,718
योजना सम्पतियों पर अनुमानित लाभ	(98,21,504)	(83,78,751)	(73,89,750)	(76,28,385)	(62,22,868)
विगत सेवा लागत	–	1,65,43,523	–	–	–
अवधि के दौरान मान्य निवल बीमांकिक (लाभ) / हानि	(4,43,77,810)	(87,40,152)	3,56,94,487	(61,16,161)	1,01,83,602
आय एवं व्यय लेखा विवरण में मान्य व्यय	**(1,71,01,640)**	**3,37,18,387**	**5,53,73,861**	**80,69,886**	**2,34,81,898**

5. मुख्य बीमांकिक मान्यताएं

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम
मृत्युदर सारणी (एलआईसी)	**(2006–08)**	**(2006–08)**	**(2006–08)**	**(2006–08)**	**(2006–08)**
31 मार्च की स्थिति के अनुसार कटौती दर	7.66%	7.71%	7.54%	8.00%	8.00%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लाभ दर	7.50%	7.55%	7.55%	8.00%	8.00%
सेवानिवृत्ति उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
आहरण दर					
आयु					
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
44 वर्ष तक	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

6. योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
योजना परिसम्पत्तियों पर अनुमानित लाभ	98,21,504	83,78,751	73,89,750	76,28,385	62,22,868
बीमांकिक लाभ / (हानि)	45,18,688	11,73,657	12,09,657	–	–
योजना परिसम्पत्तियों पर वास्तविक लाभ	**1,43,40,192**	**95,52,408**	**85,99,407**	**76,28,385**	**62,22,868**

छुट्टी नकदीकरण

1. सुनिश्चित लाभ योजना देयताओं के आरंभिक और इतिशेष का मिलान

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वर्ष के आरंभ में सुनिश्चित लाभ दायित्व	20,61,81,182	17,42,69,820	12,52,63,084	11,06,60,839	9,44,29,461
वर्तमान सेवा लागत	2,02,66,126	1,82,84,767	1,58,27,774	1,17,47,835	1,10,57,619
ब्याज लागत	1,58,96,569	1,31,39,944	94,44,837	88,52,867	75,54,357
बीमांकिक (लाभ) / हानि	96,07,638	1,28,04,944	3,24,83,997	37,37,395	1,04,93,825
अदा किया गया लाभ	(1,42,85,060)	(1,23,18,293)	(87,49,872)	(97,35,852)	(1,28,74,423)
विगत सेवा लागत	–	–	–	–	–
वर्ष के अंत में सुनिश्चित लाभ दायित्व	**23,76,66,455**	**20,61,81,182**	**17,42,69,820**	**12,52,63,084**	**11,06,60,839**

2. तुलन–पत्र में मान्य धनराशि का मिलान

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वित्त वर्ष के अंत में योजना परिसम्पति का सही मूल्य	–	–	–	–	–
वित्तीय वर्ष के अंत में देयताओं का वर्तमान वास्तविक मूल्य	23,76,66,455	20,61,81,182	17,42,69,820	12,52,63,084	11,06,60,839
तुलन–पत्र में स्वीकृत निवल परिसम्पत्ति / (देयताएं)	**(23,76,66,455)**	**(20,61,81,182)**	**(17,42,69,820)**	**(12,52,63,084)**	**(11,06,60,839)**

3. वर्ष के दौरान स्वीकृत व्यय (कर्मचारियों की पारिश्रमिकी और लाभ शीर्ष के तहत)

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
वर्तमान सेवा लागत	2,02,66,126	1,82,84,767	1,58,27,774	1,17,47,835	1,10,57,619
ब्याज लागत	1,58,96,569	1,31,39,944	94,44,837	88,52,867	75,54,357
योजना परिसम्पति से अपेक्षित प्रतिलाभ	–	–	–	–	–
विगत सेवा लागत	–	–	–	–	–
अवधि के दौरान मान्य शुद्ध बीमांकिक (लाभ)/हानि	96,07,638	1,28,04,944	3,24,83,997	37,37,395	1,04,93,825
आय एवं व्यय लेखा विवरण में मान्य व्यय	**4,57,70,333**	**4,42,29,655**	**5,77,56,608**	**2,43,38,096**	**2,91,05,801**

4. मुख्य बीमांकिक मान्यताएं

(राशि ₹ में)

विवरण	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15
	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम	आईएएलएम
मृत्युदर सारणी (एलआईसी)	(2006–08)	(2006–08)	(2006–08)	(2006–08)	(2006–08)
31 मार्च की स्थिति के अनुसार कटौती दर	7.66%	7.71%	7.54%	8.00%	8.00%
भावी वेतन वृद्धि	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%
योजना परिसम्पति से अपेक्षित प्रतिलाभ	–	–	–	–	–
सेवानिवृत्ति उम्र	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष	60 वर्ष
आहरण दर					
आयु					
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%	3.00%
44 वर्ष तक	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00:%
44 वर्ष से अधिक	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%

बीमांकिक मूल्यांकन में वेतन में वृद्धि दर का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें मूल्य वृद्धि दर, वरिष्ठता, पदोन्नत्ति के साथ–साथ रोजगार बाजार में माँग और आपूर्ति जैसे सुसंगत कारकों पर ध्यान दिया जाता है। बिमांकिक द्वारा छुट्टी नगदीकरण और ग्रेच्यूटी प्रमाणित किया जाता है।

11. निकायः संयुक्त नियंत्रित

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) भारत सरकार के अनुमोदन से एसटीपीआई ने इंडिया डाट इन पोर्टल और संबंधित सेवाओं के कार्यान्वयन के लिए एमटीएनएल के साथ दिनांक 03.02.2006 को संयुक्त उद्यम के रूप में एक कंपनी का गठन किया। तद्नुसार, कंपनी का नाम एमटीएनएल–एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लि0 रखा गया। यह कंपनी 5,000 लाख रुपये की अधिकृत शेयर पूंजी से जो 10 रुपये प्रति शेयर मूल्य के 500,00,000 शेयर में विभाजित करके निगमित की गई। इन शेयरों को एसटीपीआई और एमटीएनएल ने बराबर मात्रा में खरीदा है। कंपनी रजिस्ट्रार ने इस संबंध में दिनांक 31.03.2006 को

निगमन प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। संगम ज्ञापन के अनुसरण में सोसाइटी से प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से 10 रुपये मूल्य के प्रति शेयर की दर से 22,82,000 शेयरों की खरीद की है तथा वर्ष के दौरान तुलन–पत्र की तारीख तक इन्हें दिखाया गया है।

नाम	हित स्वामित्व	
	31.03.2019	31.03.2018
एमटीएनएल–एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लि.	50%	50%

एएस–27 के अनुसार "संयुक्त उद्यम में हितों का वित्तीय रिपोर्टिंग" के अनुरूप संयुक्त नियंत्रित निकाय की परिसंपत्तियों, दायित्वों, आय, व्यय, आकस्मिक देयताओं और पूँजीगत प्रतिबद्धताओं में संस्था की अधिभागिता इस प्रकार हैः

(राशि ₹ में)

विवरण		31.03.2019	31.03.2018
i)	परिसंपत्तियाँ		
	परिसंपत्ति, संयत्र और उपस्कर	30,85,569	39,85,544
	आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	5,44,192	6,42,052
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	151	151
	आय कर परिसंपत्तियां(निवल)	28,18,957	23,94,458
	अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	2,73,05,632	3,84,79,074
ii)	देयताएं		
	चालू देयताएं	80,16,057	1,54,93,420
iii)	आय	2,86,27,022	2,89,31,609
iv)	व्यय	1,83,30,874	1,72,37,465
v)	आकस्मिक देयताएं	6,49,25,341	6,49,25,341

12. सोसाइटी केवल एक ही लक्ष्य यथा आईटी तथा आईटीईएस उद्योग के संवर्धन पर कार्य करती है।

13. एसटीपीआई को केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त हो रहा है। ये अनुदान पूंजी और राजस्व दोनों स्वरुप के हैं। पूंजीगत अनुदान पूंजीगत व्यय जैसे कि नया केंद्र स्थापित करने या नयी पूंजीगत अस्तियों की खरीद के लिए प्रदान की जाती है। विगत वर्षों में उक्त सहायता अनुदान तुलन–पत्र की अनुसूची 3 अर्थात् "आवंटित निधि" में सम्बद्ध पूंजीगत अस्तियों के साथ किसी प्रकार के समायोजन के बिना देयता के रूप में दिखाई गयी थी, जो वित्त वर्ष 2017–18 तक ₹1,83,30,09,405/– हो गयी हैं।अब एसटीपीआई ने चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2018–19 से लेखांकन मानक 12 अपनाया है जो वित्त वर्ष 2014–15 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू है। तदनुसार, सकल खंड आस्तियां और आवंटित निधि में ₹ 12,86,75,539/– रुपयों की कमी आयी है। पूर्व के वर्षों में उक्त राशि में प्रभारित मूल्यह्रास की राशि जो ₹ 1,37,38,480/– रुपये है, को भी पूर्व अवधि आय के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया गया है।

14. राज्य सरकार से ₹ 5,70,00,000/– की राशि ब्याज मुक्त असुरक्षित राशि के रूप में प्राप्त हुई है।

15. सम्बंधित पार्टी की सूचनाः–

वर्ष के दौरान एमटीएनएल–एसटीपीआई आईटी सर्विसेज लि0 (संयुक्त उद्यम) के साथ निम्नलिखित कारोबार किया गयाः–

लाभांश प्राप्त	₹ 1,64,30,400/–
सेवाओं के लिए राजस्व	₹ 2,46,25,478/–
अन्य कारोबार	₹ 3,49,650/–

16. आकस्मिक देयताएं

(राशि ₹ में)

	विवरण	2018–19	2017–18
(क)	पूंजीलेखा के शेष अनुमानित रकम को पूरा किया जाना है जिनका प्रावधान नहीं किया गया	1,49,65,49,525	1,76,50,68,909
(ख)	बकाया बैंक गारंटी	18,61,518	22,94,978
(ग)	कंपनी के विरुद्ध दावे/विवादित देयताँ, जिनको ऋण नहीं माना गया है।		
i)	बिक्री कर/वैट/प्रवेश कर मामले	33,50,683	33,50,683
ii)	सेवा कर मामले	10,93,61,719	5,94,32,773
iii)	सीमा शुल्क मामले	–	–
iv)	वीसैट सेवायें	36,50,86,773	36,50,86,773
v)	आईएसपी–आईटी के संदर्भ में डॉट लाईसेंस फीस	28,85,01,046	28,26,45,065

(घ) आयकर विभाग ने निर्धारण वर्ष 2010–11 से 2016–17 के लि, मांग पत्र भेजा है। मामलों की वर्तमान स्थिति नीचे दिए अनुसार है:

(राशि ₹ में)

निर्धारण वर्ष	मांग की गयी (राशि ₹ में)	किस विभाग में मामला लम्बित पड़ा है।
2010–11	4,85,01,470	सीआईटी (अपील) ऑर्डर के खिलाफ एसटीपीआई ने आईटीएटी में अपील दायर की है।
2011–12	67,46,510	सीआईटी (अपील) ऑर्डर के खिलाफ एसटीपीआई ने आईटीएटी में अपील दायर की है।
2013–14	8,80,12,937	एसटीपीआई ने सीआईटी–(अपील) में अपील दायर की है।
2014–15	31,35,88,480	एसटीपीआई ने सीआईटी–(अपील) में अपील दायर की है।
2016–17	8,70,94,840	एसटीपीआई ने सीआईटी–(अपील) में अपील दायर की है।

अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के आधार पर तथा सोसाइटी के अन्य संबंधित प्रावधानों की व्याख्या को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी का मत है कि मांग–पत्र रद्द किया जा सकता है। तदनुसार इसका कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

17. निम्नलिखित मामलों में पट्टाधारी दस्तावेजों पर कार्रवाई की जानी है:

केन्द्र का नाम	कार्य	मूल लागत	डब्ल्यू डी वी
आइजोल	भूमि तथा भवन	1/– ₹ प्रति वर्ष	शून्य
इम्फाल	भूमि तथा भवन	1/– ₹ प्रति वर्ष	शून्य
शिलांग	भूमि तथा भवन	1/– ₹ प्रति वर्ष	शून्य
राउरकेला	भूमि तथा भवन	1/– ₹ प्रति वर्ष	शून्य

18 चालू वर्ष के आंकड़ों से तुलना योग्य बनाने के लिए आवश्यक होने पर विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्गठित या पुनः वर्गीकृत किया गया है।

19. सभी आंकडों को निकटतम रुपयों में दर्शाया गया है।

उक्त तिथि के लिए हमारी पृथक रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे सी भल्ला एंड को.
सनदी लेखाकार
पंजीकरण सं– 001111एन

(अखिल भल्ला)
भागीदार
सदस्यता सं. 505002

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 19.09.2019

कृते सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया

(पी.एन. सक्सेना) निदेशक (वित्त)

(देवेश त्यागी) वरिष्ठ निदेशक

(डॉ. ओंकार राय) महानिदेशक

सूचना का अधिकार

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 2(ज) के शर्तों के अंतर्गत लोक प्राधिकारी है। एक आरटीआई सेल एसटीपीआई मुख्यालय,नई दिल्ली में स्थित है जिसमे नौ केन्द्रों के सहायक लोक सूचना अधिकारी,एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी और एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्य कर रहे हैं। आरटीआई सेल का कार्य सूचना का अधिकार आवेदन को हार्ड कॉपी के रूप में और आरटीआई वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करना है और आवेदनकर्ता द्वारा एसटीपीआई से संबन्धित मांगी गयी स्वीकार्य सूचना प्रस्तुत करना है। सेल का उत्तरदायित्व है कि वह मुख्य सूचना आयुक्त को अधिनियम में उल्लिखित उपबंधों के अनुसार अपेक्षित विवरण भी प्रस्तुत करे।

1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक आरटीआई सेल में प्राप्त आवेदनों/अपील की संख्या निम्न प्रकार है:

प्राप्त आरटीआई आवेदनों की संख्या	निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या	लंबित
91	91	0
प्राप्त आरटीआई अपील की संख्या	**निपटाए गए आरटीआई अपील की संख्या**	**लंबित**
12	12	0

एस टी पी आई के केन्द्र

1. **अगरतला**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
मुकुट बिपानी बिटान, दूसरी मंजिल, लिचु बगान,
अगरतला – 799010 (त्रिपुरा)
टेलीफोनः + 381–2416005
फैक्सः + 381–2416005
ई–मेलः agtl.info@stpi.in
वेबसाईटः www.guwahati.stpi.in

2. **औरंगाबाद**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट नं0 टी 25, ई एस आई अस्पताल के सामने,
एमआईडीसी, चिकलथाना, गरवारे स्टेडियम के पास,
औरंगाबाद–431210 (महाराष्ट्र)
टेलीफोनः + 91–240–2473859
फैक्सः + 91–240–2473860
ई–मेलः praful.patinge@stpi.in
वेबसाईटः www.mah.stpi.in

3. **इन्दौर**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एमपी एसईडीसी, एसटीपी बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स
कॉम्पलेक्स, परदेसी पुरा, इन्दौर – 452010 (मध्यप्रदेश)
टेलीफोनः + 91–731–4024440
फैक्सः +91–731–4030880
ई–मेलः ravi.varma@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-ind

4. **इम्फाल**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
मंत्रीपुखरी, इम्फाल पूर्व – 795002 (मणिपुर)
टेलीफोनः + 91–385–2423237
फैक्सः + 91–385–2423237
ई–मेलः impl.info@stpi.in
वेबसाईटः www.guwahati.stpi.in

5. **एज़वॉल**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
दूसरी मंजिल, सी एच चूंगा बस टर्मिनल बिल्डिंग,
थुमपुई, एजवॉल–796017 (मिजोरम)
टेलीफोन: 0389–2350337
फैक्सः 0389–2350337
ई–मेलः azl.info@stpi.in
वेबसाईटः www.guwahati.stpi.in

6. **काकीनाड़ा**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
कलेक्ट्रेट कम्पाऊडं,
काकीनाड़ा–533004 (आंध्र प्रदेश)
टेलीफोनः + 91–884–6660111
फैक्सः + 91–884–6660112
ई–मेलः mallesh.av@stpi.in
वेबसाईटः www.hyd.stpi.in

7. **कानपुर**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
यूपीएसआईडीसी कॉम्पलेक्स, ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर – 208024 (उत्तर प्रदेश)
टेलीफोनः + 91–512–2580176
फैक्सः + 91–512–2584765
ई–मेलः knp.info@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-knp

8. **कोयम्बटूर**
प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसएफ नं० 333/1, भूमि तल,
कुमारगुरू कॉलेज टेक्नोलॉजी कैम्पस,
चीन्नावेदमपट्टी, कोयम्बटूर – 641006 (तमिलनाडु)
फोनः +91–422– 2669682
ई–मेलः rameshy@stpi.in
वेबसाईटः www.chennai.stpi.in

9. **कोलकाता**

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
डब्ल्यूईबीईएल (WEBEL), एसटीपी–II बिल्डिंग,
दूसरी मंजिल, ब्लॉक डी एन, प्लॉट न0 53,
सैक्टर–V, साल्ट लेक,
कोलकाता – 700091 (पश्चिम बंगाल)
टेलीफोन: +91–33–23673598 / 99
फैक्स: +91–33–23673597
ई–मेल: kol.info@stpi.in
वेबसाईट: www.kol.stpi.in

10. **कोल्हापुर**

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट नं० पी 5, यलम्मा मंदिर के पीछे,
जयप्रभा स्टूडियो के सामने
आईटी पार्क, कोल्हापुर – 416012 (महाराष्ट्र)
टेलीफोन: + 91 – 231–2644429
फैक्स: + 91 – 231–2644429
ई–मेल: sachin.narule@stpi.in
वेबसाईट: www.mah.stpi.in

11. **खड़गपुर**

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
डब्ल्यूबीआईआईडीसी औद्योगिक विकास केंन्द्र,
प्लॉट सं० 3, सेक्टर – बी, नीमपुरा, जिला–
पश्चिम मेदीनीपुर, खड़गपुर – 721303
(पश्चिम बंगाल)
टेलीफोन: + 91–3222–234436 / 233014
ई–मेल: durgapur.oic@stpi.in
वेबसाईट: www.kol.stpi.in

12. **गंगटोक**

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
ऊपरी मंजिल, सिक्किम ज्वैल्स लि० कॉम्पलेक्स,
राष्ट्रीय राजमार्ग– 10, तादोंग,
गंगटोक – 737102 (सिक्किम)
टेलीफोन: + 91–3592–271193 / 94
फैक्स: + 91–3592–271193
ई–मेल: gtk.info@stpi.in
वेबसाईट: www.Guwahati.stpi.in

13. **गांधीनगर**

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
नौवीं मजिल, गिफ्ट (जीआईएफटी), वन टॉवर,
ब्लॉक –56, रोड – 5 सी, जोन–5, गिफ्ट सिटी,
गांधीनगर – 382355 (गुजरात)
टेलीफोन: + 91–79– 66748531 / 32
फैक्स: + 91–79– 66748533
ई–मेल: gnr.info@stpi.in
वेबसाईट: www.gnr.stpi.in

14. **गुरुग्राम**

प्रभारी अधिकारी
प्लॉट नं0 30, इलेक्ट्रॉनिक सिटी,
सेक्टर 18, गुरुग्राम–122015 (हरियाणा)
टेलीफोन: + 91–124–2455050
ई–मेल: rajneesh@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in

15. **गुवाहाटी**

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एलजीबीआई ,एयरपोर्ट के पास, बोरझार,
गुवाहाटी–781015 (असम)
टेलीफोन: + 91–361–2841269, 2841374
फैक्स: + 91–361–2842657
ई–मेल: guw.info@stpi.in
वेबसाईट: www.guwahati.stpi.in

16. **ग्वालियर**

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
गांव गंगा मलनपुर, मुरैना लिंक रोड,
ग्वालियर–474005 (मध्य प्रदेश)
टेलीफोन :. 91–0751–2820405
ई–मेल: ravi.varma@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in

17. गोवा

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
दूसरी मंजिल, उद्योग भवन,
(पणजी)–403001 (गोवा)
टेलीफोन: +91–832–2226828,
ई–मेल: dinesh.bhagat@stpi.in
वेबसाईट: www.mah.stpi.in

18. चेन्नई

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
नं0 5, तीसरी मंजिल, राजीवगांधी सलाई,
तारामणी, चेन्नई–600113 (तमिलनाडु)
टेलीफोन: + 91–44–22541202, 39103525
फैक्स: + 91–44–39103505
ई–मेल: sanjay.tyagi@stpi.in
वेबसाईट: www.chennai.stpi.in

19. जम्मू

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
ईपीआईपी करथौली, बड़ी ब्राहमणा,
जम्मू (जम्मू व कश्मीर)–181133
टेलीफोन: + 91–191–2300381
फैक्स : + 91–191–2300500
ई–मेल: asim.khan@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in/p-sgr

20. जयपुर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
आईटी–21, आईटी पार्क, ईपीआईपी,
सीतापुर, इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर – 302022
(राजस्थान)
टेलीफोन: + 91–141–2770891 / 2770192
फैक्स: + 91–141–2770890
ई–मेल: avadhesh.srivastava@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in/p-jpr

21. जोधपुर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सीवाईबी–1, साईबर पार्क,
भारी औद्योगिक क्षेत्र,
सरस डेयरी के निकट,
जोधपुर – 342003 (राजस्थान)
टेलीफोन: + 91–291–2002116
ई–मेल: avadhesh.srivastava@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in/p-jdr

22. तिरूनेलवेली

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
41–डी, वसन्तपुरम साउथ स्ट्रीट बाईपास रोड,
तिरूनेलवेली – 627005 (तमिलनाडु)
टेलीफोन: 09994359819
ई–मेल: vganapathi@stpi.in
वेबसाईट: www.chennai.stpi.in

23. तिरूपति

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सर्वे सं० 234, अर्बन हाट के पीछे, त्रिचनूर रोड,
तिरूपति – 517503 (आंध्र प्रदेश)
टेलीफोन: + 91–877–2239262
फैक्स: + 91–877–2239262
ई–मेल: varaprasad.y@stpi.in
वेबसाईट: www.hyd.stpi.in

24. तिरूवनंतपुरम

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सी–21, तेजस्विनी भवन, टेक्नोपार्क,
तिरूवनंतपुरम – 695581 (केरल)
टेलीफोन: + 91–471–2700404 / 607 / 707 / 807
फैक्स: + 91–471–2700505
ई–मेल: tvpm.do@stpi.in
वेबसाईट: www.tvpm.stpi.in

25. त्रिची

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
बी–9, लाइट इंजिनियरिंग शेड, त्रिची क्षेत्रीय
इंजिनियरिंग कॉलेज विज्ञान एवं तकनीकी
प्रोद्योगिकी पार्क, (टीआरईसी–एसटीईपी) एनआईटी
कैम्पस, त्रिची–620015 (तमिलनाडु)
टेलीफोनः + 91–431–2501585 / 86
फैक्सः + 91–431–2501586
ई–मेलः r.pattabi@stpi.in
वेबसाईटः www.chennai.stpi.in

26. दुर्गापुर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
शहीद सुकुमार बनर्जी सराणी,
रंजन गेस्ट हाऊस के सामने,
विधान नगर, जिला–वर्धमान
दुर्गापुर–713212 (पश्चिम बंगाल)
टेलीफोनः + 91–343–2531294 / 95
ई–मेलः durgapur.oic@stpi.in
वेबसाईटः www.kol.stpi.in

27. देहरादून

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयंर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट न0 आई टी–01, इंटीग्रेटिड इंडस्ट्रीयल
इस्टेट (आईआईई), आई, टी–पार्क,
सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून–248013 (उत्तराखंड)
टेलीफोनः + 91–135–2608003 / 2608202
फैक्सः + 91–135–2608940
ई–मेलः ddn.oic@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-ddn

28. देवघर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट न0 15 (पार्ट), इंडस्ट्रीयल एरिया, जसीडीह,
देवघर–814142, (झारखंड)
टेलीफोनः + 91–651–2462270
फैक्सः + 91–651–2462280
ई–मेलः ranchi@stpi.in
वेबसाईटः www.ran.stpi.in

29. नागपुर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लाट नं0 3, आईटी पार्क, पारसोडी,
वीआरसीई टेलीफोन एक्सचेंज के पास,
नागपुर–440022 (महाराष्ट्र)
टेलीफोनः + 91–712–2227774,
फैक्सः + 91–712–2220600
ई–मेलः sanjay.darne@stpi.in
वेबसाईटः www.mah.stpi.in

30. नासिक

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लाट नं0 आईटी–I, आईटी पार्क, एसडी ऑटो के सामने,
एमआईडीसी, अम्बड़,
नासिक – 422010 (महाराष्ट्र)
टेलीफोनः + 91–253–2382835
फैक्सः + 91–253–2382835
ई–मेलः sachin.purnale@stpi.in
वेबसाईटः www.mah.stpi.in

31. नोएडा

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
गंगा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कॉम्पलेक्स,
ब्लॉक– IV, सैक्टर–29, नोएडा –201 303
(उत्तर प्रदेश)
टेलीफोनः + 91–120–2470400
फैक्सः + 91–120–2470403
ई–मेलः rajneesh@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in

32. पटना

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
13वीं मंजिल, बिस्कोमान टावर,
माड्यूल ए–5, गांधी मैदान के पश्चिम
पटना – 800001 (बिहार)
टेलीफोनः + 91–612–2205627
फैक्सः + 91–612–2205627
ई–मेलः patna@stpi.in
वेबसाईटः www.patna.stpi.in

33. पुदुच्चेरी

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया,
पुदुच्चेरी इंजीनियरिंग कॉलेज कैम्पस,
टेकनोपोलिस बिल्डिंग–I, पिल्लचावड़ी,
पुदुच्चेरी – 605014
टेलीफोनः + 91–413–2656317 / 18
फैक्सः + 91–413–2656318
ई मेलः senthilv@stpi.in
वेबसाईटः www.chennai.stpi.in

34. पुणे

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट सं०– पी–1, फेज – I,
राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क,
एमआईडीसी, हिंजावड़ी,
पुणे – 411057 (महाराष्ट्र)
टेलीफोनः + 91–20–22981000 / 22934475
फैक्सः + 91–20– / 22981010
ई–मेलः sanjay.gupta@stpi.in
वेबसाईटः www.mah.stpi.in

35. प्रयागराज

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एमएनएनआईटी कैम्पस, लखनऊ रोड,
प्रयागराज–211 004 (उ०प्र०)
टेलीफोनः + 91–532–6500130
फैक्सः + 91–532–2545628
ई–मेलः albd.info@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-ald

36. ब्रह्मपुर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट नं0– 860 / 4562,
आयकर कार्यालय के नजदीक, अम्बापुआ,
ब्रह्मपुर–760011 (ओडिशा)
टेलीफोनः 91–680–2404300
फैक्सः 91–680–2404232
ई मेलः berhampur@stpi.in
वेबसाईटः www.bam.stpi.in

37. बेंगलुरू

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
साईबर पार्क, 6वीं मंजिल, सं० 76 और 77,
इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी, होसुर रोड,
बेंगलुरू–560100 (कर्नाटक)
टेलीफोनः + 91–080–66186000–07
फैक्सः + 91–080– 28521161
ई–मेलः shailendra.tyagi@stpi.in
वेबसाईटः www.blr.stpi.in

38. भुवनेश्वर

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सी ग्राउंड–जीरो, फार्चून टावर,
चंद्रशेखरपुर, मैत्री विहार
भुवनेश्वर–751023 (ओडिशा)
टेलीफोनः + 91–674–2300412 / 413 / 787 / 358
फैक्सः + 91–674–2302307
ई–मेलः bbs.director@stpi.in
वेबसाईटः www.bbs.stpi.in

39. भिलाई

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
मंगल भवन, नेहरू नगर (पूर्व),
भिलाई, (छत्तीसगढ़)
टेलीफोनः + 91–788–4040330
फैक्सः + 91–788–4040326
ई–मेलः dhiren.behera@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-bli

40. मदुरै

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया,
थ्यागराज कालेज इंजीनियरिंग परिसर,
मदुरै – 625015 (तामिलनाडु)
टेलीफोनः + 91–452–2482025, 2482294
फैक्सः + 91–452–2482294
ई–मेलः vganapathi@stpi.in
वेबसाईटः www.chennai.stpi.in

41. मणिपाल

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
दूसरी मंजिल, कार्मिक भवन,
राजीव नगर, न0 – 80, बडागुबेट्टु, अलेवूर रोड,
मणिपाल पारकला पोस्ट,
उड्डुपी जिला–567107 (कर्नाटक)
टेलीफोनः + 91–820–2575752
ई–मेल : ravindra.aroor@stpi.in
वेबसाईटः www.blr.stpi.in

42. मंगलूरू

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सर्वे नं0 129/1 ए, ब्लूबेरी हिल, हरी पडावु रोड
डेरेबल, मंगलूरू – 575008 (कर्नाटक)
टेलीफोनः + 91–824–2212189/139
फैक्सः + 91–824–2216555
ई–मेलः ravindra.aroor@stpi.in
वेबसाईटः www.blr.stpi.in

43. मुम्बई

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
चौथी मंजिल, समृद्धि वेन्चर पार्क,
गाला, नं0 4, एमआईडीसी, सेन्ट्रल रोड,
अंधेरी (पूर्व), मुम्बई–400 093 (महाराष्ट्र)
टेलीफोनः + 91–22–28343742
फैक्सः + 91–22–28395384
ई–मेलः manas.ray@stpi.in
वेबसाईटः www.mah.stpi.in

44. मोहाली

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट सी–184, औद्योगिक क्षेत्र, फेज–VIII ए,
सैक्टर – 75, मोहाली (पंजाब) – 160071
टेलीफोनः + 91–172–2237067/1
फैक्सः + 91–172–2237066
ई–मेलः ajay.shrivastava@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-mhl

45. मैसूर

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसजेसीई – एसटीईपी कैम्पस, मानस गंगोत्री
मैसूर – 570006 (कर्नाटक)
टेलीफोनः +91–821–2412090, 2517780/90
फैक्सः + 91–821–2412080
ई–मेलः jayaprakash@stpi.in
वेबसाईटः www.blr.stpi.in

46. रांची

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट सं० 8 पार्ट, नामकुम औद्योगिक क्षेत्र,
नामकुम, रांची – 834001 (झारखण्ड),
टेलीफोनः + 91–651–2462270
फैक्सः + 91–651–2462280
ई–मेलः ranchi@stpi.in
वेबसाईटः www.ran.stpi.in

47. राउरकेला

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
सेक्टर–5, औद्योगिक म्यूजियम, नजदीक पंथ
निवास, राउरकेला–769002 (ओडिशा)
टेलीफोनः + 91–661–2643745
फैक्सः + 91–661–2643295
ई–मेलः rourkela@stpi.in
वेबसाईटः www-rkl.stpi.in

48. लखनऊ

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एसटीपी कॉम्पलेक्स, गोमती बैराज के पास,
गोमती नगर, लखनऊ–226010 (उत्तर प्रदेश)
टेलीफोनः + 91–522–2307913/15
फैक्सः + 91–522–2307930
ई–मेलः lko.info@stpi.in
वेबसाईटः www.noida.stpi.in/p-lko

49. वारंगल

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया,
काकतिया आईटी पार्क, एच नं0 2–5–906/1, 2,
सर्किट हाऊस रोड, हनमकोंडा,
वारंगल–506001(तेलंगाना राज्य)
टेलीफोन: + 91–870–2446944
फैक्स: + 91–870–2446944
ई–मेल: ramakishore.babu@stpi.in
वेबसाईट: www.hyd-stpi.in

50. विजयवाडा

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
राज्यकीय पोलिटेकनिक कॉलेज कैम्पस,
स्टेला कॉलेज के सामने, बेज सर्कल के नजदीक,
विजयवाडा – 520008 (आंध्रप्रदेश)
टेलीफोन: + 91–866–2494243
फैक्स: + 91–866–2494243
ई–मेल: sanjeev.v@stpi.in
वेबसाईट: www.hyd.stpi.in

51. विशाखापट्टनम

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
यूनिट नं0 9, एसडीएफ–1, बिल्डिंग,
विशाखापट्टनम स्पेशल इकनॉमी ज़ोन,
नजदीक दुवादा रेलवे स्टेशन
विशाखापट्टनम–530049 (आंध्रप्रदेश)
टेलीफोन: + 91–891–6452474
फैक्स: + 91–891–2587226
ई–मेल: dubey@stpi.in
वेबसाईट: www.hyd.stpi.in

52. शिलांग

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
लमजिंगशाई, छोटा गोलचक्कर मार्ग,
शिलांग – 793001 (मेघालय)
टेलीफोन: + 91–364–2591022
फैक्स: + 91–364–2591022
ई–मेल: slg.info@stpi.in
वेबसाईट: www.guwahati.stpi.in

53. शिमला

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
इन्क्यूबेशन सेंटर ब्लॉक नं. 24,
एस डी ए कॉम्पलैक्स, कसुम्पटी,
शिमला – 171009 (हिमाचल प्रदेश)
टेलीफोन: + 91–177–2832679
ई–मेल: shimla.admin@stpi.in
वेबसाईट: www.noida.stpi.in/p-shm

54. श्रीनगर

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
6 सिडको, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्पलेक्स, पुराना एयर
पोर्ट रोड, रंगरेठ, श्रीनगर – 191132
(जम्मू व कश्मीर)
टेलीफोन: + 91–194–2300520/381
फैक्स: + 91–194–2300500
ई–मेल : asim.khan@stpi.in
URL: www.noida.stpi.in/p-sgr

55. सिलीगुड़ी

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट सं० जे एल 86, मतीगरा, उत्तरायन के सामने,
जिला–दार्जिलिंग सिलीगुडी–734010
(पश्चिम बंगाल)
टेलीफोन: + 91– 353–2571986/87
ई–मेल: siliguri.oic@stpi.in
वेबसाईट: www-kol.stpi.in

56 सूरत

प्रभारी अधिकारी

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
एफ पी 27, टीपी 22, जियाव बुदिया रोड़, सोमेश्वर
सोसॉयटी के नजदीक, बिष्ठान,
सूरत–395023 (गुजरात)
टेलीफोन: + 91–7405003029
ई–मेल: surat.info@stpi.in
वेबसाईट: www.gnr.stpi.in

57. हल्दिया

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट न० 149, देभोग, भवानीपुर,
जिला पूर्व मेदिनीपुर, हल्दिया – 721657
(पश्चिम बंगाल)
टेलीफोनः + 91–3224–255062 / 92
ई–मेलः durgapur.oic@stpi.in
वेबसाईटः www.kol.stpi.in

59. हुबली

प्रभारी अधिकारी
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया,
चौथी मंजिल, ब्लॉक ए, आईटी पार्क,
इंदिरा ग्लास हाऊस के सामने,
हुबली – 580029 (कर्नाटक)
टेलीफोनः + 91–836–2251090 / 2 / 3
फैक्सः + 91–836–2257091
ई–मेलः v.sasikumar@stpi.in
वेबसाईटः www.blr.stpi.in

58. हैदराबाद

निदेशक
सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
6 क्यू 3, 6ठी मंजिल, साइबर टावर,
हाइटेक सिटी, माधापुर, हैदराबाद – 500081 (तेलंगाना)
टेलीफोनः +91–40–66415600 / 11
फैक्सः +91–40–23100501
ई–मेलः ram@stpi.in
वेबसाईटः www.hyd.stpi.in

NOTES

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया
प्लॉट बी, प्रथम तल, ऑफिस ब्लॉक-1, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली-110023
फोन: +91 11 24628081 | वेबसाइट: www.stpi.in